मानव व्यापार

देह, श्रम और सत्ता का अदृश्य बाजार

RNI Title Code: BIHBIL02442

स्त्री के मन की

अंक 32 वर्ष 2026

संकल्पना

संकल्पना

इक्विटी फाउंडेशन लंबे अरसे से एक वेब पत्रिका शुरू करने के बारे में सोच रहा था। मकसद था महिला और समाज के मुद्दों को शिद्दत से उठाना। जब हमने चीजों को एक साथ कर उसे पत्रिका के रूप में सजाने के बारे में सोचना शुरू किया तो इस क्रम में कई लोगों से जुड़े। हमने महिलाओं को पत्रिका से जोड़ने की कोशिश की। हम दोस्तों से मिले और परिचितों से बात की। महिलाओं के सामाजिक समूहों और शिक्षाविदों के एक साथ जुड़ने के बाद जो स्वरूप सामने आया वह है 'मंजरी'।

मंजरी यानी कोंपल। शाखों में फूटने वाली नन्ही पत्तियां। नई शाखों का सृजन करने वाले इन कोंपल को कुम्हलाने से बचाना जरूरी है नहीं तो पूरे पेड़ का विस्तार कुंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह स्त्री के मन की मंजरी को सहेजने की जरूरत है वरना पेड़रूपी समाज विकृति का शिकार हो जाएगा। हमारा प्रयास इसी मंजरी को पुष्पित पल्लिवत करने का है जो औरत की सोच और उसकी कोशिश को सही दिशा प्रदान कर सके।

मंजरी के सृजन के दौरान पहले तो 10–30 लोगों का एक ढीला–ढाला समूह बना। विचार आते गए। अलग–अलग विषयों और मुद्दों पर। समूह में कुछ अनमनी महिलाएं थीं तो कुछ सहानुभूति दिखाने वाले पुरुष भी। कुछ महज एक या दो बैठकों में शामिल हुए तो कुछ जब मन में आया, आ गए। बाकी बचे लोगों ने 'मंजरी' को मुकाम पर ले जाने का दायित्व अपने कंधों पर लिया। 'मंजरी' का लक्ष्य एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां बुद्धिजीवियों को उनकी खुराक मिले तो शोधकर्ताओं की जिज्ञासा शांत हो। क्रियान्वयन के लिए बहस और तर्क के रास्ते हमेशा खुले रहें। इक्विटी की लगातार कोशिश रही है शोध और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को पाटना। ऐसे में हमारा मानना है कि शोध तब तक अप्रासंगिक हैं जब तक कि इनका लोगों की जिंदगी और उनके क्रियाकलापों से जुड़ाव न हो। ठीक इसी तरह सिविल सोसायटी के तौर पर अगर हम जमीनी सच्चाई से वाकिफ न रहें, जिनमें सामाजिक प्रक्रियाएं और ऐतिहासिक मूल्यों का समावेश है और जो समाज में रहने वाले लोगों के मूल्यों और उनके चरित्र को आकार देते हैं, तो किसी भी कोशिश का कोई मतलब नहीं रहता है।

'मंजरी' एक उद्यम है, क्रियाशीलता को शोध आधारित रचना और आलोचना के नजरिये से देखने का जो महिला अधिकारों के साथ–साथ जीवन के हर पलू को इंगित करे। नियमित गैर सरकारी संगठनों और अकादमिक तंत्रों से इतर 'मंजरी' राजनीति और आदर्शवादिता को लांघ कर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता के आधार पर मापती है। 'मंजरी' उन तमाम कार्यकर्ताओं, विद्वानों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, प्रोफेशनल, गृहणियों और नीति निर्धारकों द्वारा पढ़ी जाएगी जो किसी समस्या के लिए समाधान आधारित नवीन दृष्टि और पृथक सोच रखते हैं। यह पत्रिका अपने पाठकों को जेंडर आधारित मुद्दों को जैविक और सामाजिक आधार पर परखने की छूट देती है। व्यक्ति और समाज की विचारधारा में जेंडर को लेकर क्या बदलाव आये और उनका क्या असर हुआ, इसकी पूरी पड़ताल करने की आजादी लोगों को होगी। यह पत्रिका एक कोशिश है पड़ताल की प्रवृत्ति को जगाने की ताकि लोग तेजी से बदलते और विविधताओं से भरे समाज में पूरी क्षमता से काम करने को तैयार हो सकें जिसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव भी एक अहम मुद्दा होगा। महिला समानता और अधिकारों पर 'मंजरी' के दखल से उन बेशुमार कार्यकर्ताओं, संगठनों और विद्वजनों को फायदा होगा जो दहेज, यौन प्रताड़ना, महिला अधिकारों, महिला आरक्षण, आर्थिक सुधार और अल्पसंख्यक समुदायों के निजी कानूनों में रुचि रखते हैं।

पत्रिका का मकसद

इक्विटी फांडेशन खुद को सुविधाविहीन महिलाओं को उनकी पूर्ण क्षमता से अवगत कराने और समाज में उनके क्रियाशील प्रभुत्व को स्थापित कराने की दिशा में वाहक के तौर पर देखता है। देश के विकास के हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की राष्ट्रीय नीति तभी सफल हो पाएगी जब महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को कमतर आंकने वाले संस्थान और विचारों को हतोत्साहित किया जाये या उनका पूरी तरह सफाया किया जाय। 'मंजरी' की परिकल्पना समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के जीवन और उनके स्तर को प्रभावित करने वाले विचारों के निर्माण, विकास और उनके प्रसार के लिए की गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में समानता संबंधी मुद्दों को इस प्रकार समग्र रूप में देखने की जरूरत है जो असमानता की अंतरवर्गीय विशेषताओं को जाहिर कर सके।

समानता पर आधारित 'मंजरी' के ज्यादातर आलेख भिन्न–भिन्न समूहों को निशाने पर रखते हैं जो कुछ हद तक बेहद जरूरी भी है। इसलिए यह पत्रिका कुछ समूहों के कुछ विशेषाधिकारों के पूर्ण निष्कासन और अंतरवर्गीय दृष्टिकोणों के स्थापन के बीच नियंत्रक की भूमिका में होगी जो नीति निर्धारण और योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान असमानता को उसके तमाम स्वरूपों के साथ सामने रखने में कारगर होगी। ऐसे में इसका मकसद लैंगिक भेदभाव के निर्मूलन की ओर वह विवेचनात्मक चर्चा छेड़ने का है जो वर्तमान परिदृश्य में शोधों का एजेंडा तय कर सके और एक बेहतर वैकल्पिक प्रस्ताव का सृजन कर सके। अब तक यह संगठन कार्यशाला, कांफ्रेंस और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के जरिये अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता रहा है लेकिन अब इस पत्रिका के माध्यम से यह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अतिथि लेखकों, जिनमें विद्वजन, अधिवक्ता, सरकार, पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

हमारी बात

संरक्षण

प्रो. किरण घई
पटना वीमेंस कॉलेज के हिंदी विभाग की भूतपूर्व रीडर

मणिकांत ठाकुर
प्रख्यात पत्रकार

प्रो. भारती एस. कुमार
प्रोफेसर (सेवा.) इतिहास, पटना विवि

डा. रेणु रंजन
प्रोफेसर (सेवा.), समाज शास्त्र
पटना विवि

परामर्श

डा. शरद कुमारी
सचिव, बिहार महिला समाज

अंजिता सिन्हा
पत्रकार

डा. मधुरिमा राज
स्वतंत्र लेखिका एवं षोधकर्ता

सुजाता गुप्ता
लेखिका, कवयित्री एवं अनुवादक

संपादकीय

मानव व्यापार कोई अपराध भर नहीं है; यह हमारे समय का वह अंधेरा आईना है जिसमें सत्ता, समाज और बाजार की मिलीभगत साफ दिखाई देती है। यह सिर्फ सीमा पार से लड़कियों और बच्चों की तस्करी की कहानी नहीं, बल्कि उन संरचनाओं की कथा है जो कमजोर देहों को माल में बदल देती हैं और फिर चुप्पी को व्यवस्था का हिस्सा बना देती हैं।

भारत जैसे समाज में, जहाँ गरीबी, लैंगिक असमानता और जातिगत पदानुक्रम गहरे धंसे हुए हैं, मानव व्यापार इन्हीं दरारों से जन्म लेता है। एक ओर परिवारों की आर्थिक विवशता है, दूसरी ओर शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी। लेकिन यह अधूरा सच है। पूरा सच यह है कि इस अपराध को फलने–फूलने के लिए संरक्षण चाहिए– और वह संरक्षण अक्सर स्थानीय प्रशासन, पुलिस, दलालों के नेटवर्क और राजनीतिक प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से मिलता है।

मानव व्यापार के अधिकांश मामलों में पीड़ितों की शिकायतें दर्ज नहीं होतीं, या दर्ज होकर दबा दी जाती हैं। छापेमारी होती है तो सिर्फ छोटे दलाल पकड़े जाते हैं, लेकिन असली नेटवर्क– जो होटल, फैक्ट्री, कोचिंग शहरों के हॉस्टल, ईंट–भट्ठों, घरेलू काम और यौन शोषण के अड्डों तक फैला होता है– अछूता रह जाता है। यह संयोग नहीं है। यह संरचनात्मक है।

जब पुलिस पर राजनीतिक दबाव हो, जब स्थानीय नेता 'रोजगार' के नाम पर फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियों को संरक्षण दें, जब प्रशासन पुनर्वास की बजाय 'छवि बचाने' में व्यस्त रहे– तो मानव व्यापार एक संगठित उद्योग में बदल जाता है। सत्ता सीधे शामिल न भी हो, तो उसकी निष्क्रियता भी साझेदारी का ही रूप है। हम अक्सर मानव व्यापार को किसी दूर–दराज सीमा की समस्या समझ लेते हैं। पर सच यह है कि मांग हमारे समाज से ही आती है। सस्ती घरेलू कामगार चाहिए, बाल मजदूर चाहिए, देह व्यापार चाहिए, अवैध गोद लेना चाहिए, इन सबकी मांग हमारे शहरों, हमारे घरों, हमारे उपभोग की आदतों से निकलती है।

औरतों और बच्चों के प्रति हमारी दृष्टि भी इस अपराध को वैधता देती है। जब लड़की को बोझ समझा जाता है, जब दहेज और बाल विवाह अब भी जिंदा हैं, जब बलात्कार पीड़िता से सवाल किए जाते हैं– तो हम एक ऐसा सामाजिक वातावरण बनाते हैं जिसमें मानव व्यापार संभव हो जाता है। यह भी सच है कि कई बार परिवार ही "बेहतर जीवन" के नाम पर बच्चों को एजेंटों के हवाले कर देते हैं। गरीबी मजबूरी

मुख्य संपादक

नीना श्रीवास्तव

संपादक

दीपिका झा

शोध

नीना श्रीवास्तव
दीपिका झा

आवरण चित्र

वरिष्ठ अतिथि कलाकार
अनु प्रिया

लोगो डिजाइन

दीया भारद्वाज

प्रबंधन/व्यवस्था

राहुल कुमार
कुमार गौरव

प्रकाशन

इक्विटी फाउंडेशन

संपर्क

इक्विटी फाउंडेशन
123 ए, पाटलीपुत्र कॉलोनी
पटना, 13
फोन : 0612.2270171

ई–मेल
equityasia@gmail.com
वेबसाइट
www.emanjari.com

है, लेकिन मजबूरी को अवसर बनाने वाले नेटवर्क को सामाजिक सहमति भी चाहिए होती है और वह उन्हें मिल जाती है।

भारत में मानव व्यापार के खिलाफ कड़े कानून हैं– आईपीसी की धाराएँ, पॉक्सो, बंधुआ मजदूरी कानून, और प्रस्तावित व्यापक विधेयक। लेकिन कानून का होना और उसका लागू होना दो अलग बातें हैं। मामले वर्षों तक चलते हैं। पीड़ितों को गवाही के दौरान सुरक्षा नहीं मिलती। पुनर्वास योजनाएँ कागजों पर अधिक दिखती हैं, जमीन पर कम। अक्सर बचाव गृह खुद शोषण के नए स्थल बन जाते हैं। इस तरह पीड़ित "उद्धार" के बाद भी नियंत्रण और निगरानी की दूसरी कैद में चले जाते हैं।

मानव व्यापार से लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, सामाजिक पुनर्निर्माण की लड़ाई है। आर्थिक असमानता कम करना–सुरक्षित रोजगार, विशेषकर महिलाओं के लिए। सबसे जरूरी है–चुप्पी तोड़ना। मानव व्यापार कोई "दूसरों" की समस्या नहीं है। यह हमारे समाज की सामूहिक विफलता है। जब तक सत्ता अपने संरक्षण की राजनीति से बाहर नहीं आएगी, और समाज अपने उपभोग और पितृसत्तात्मक मानसिकता की समीक्षा नहीं करेगा, तब तक यह व्यापार चलता रहेगा– नाम बदलकर, रूप बदलकर, और इसका प्रतिरोध भी मानवीय साहस, सामाजिक संवेदना और राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही संभव है।

"मंजरी" का यह अंक मानव व्यापार के दंश और उससे उपजी सामाजिक पीड़ा को समर्पित है। इस अंक में हम मानव व्यापार को केवल आँकड़ों की ठंडी भाषा में नहीं, बल्कि अनुभवों की सजीव गवाही के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं। आँकड़े हमें भयावहता का पैमाना बताते हैं, पर वे उन आँखों का खालीपन नहीं दिखा पाते जो बचाव शिविरों में बैठी भविष्य की प्रतीक्षा करती हैं। वे उन माताओं की बेचैनी नहीं दर्ज कर पाते जिनकी बेटियाँ "काम" के बहाने शहरों में ले जाई गईं और फिर कभी लौटकर नहीं आईं। इस विशेषांक का उद्देश्य उन आवाजों को केंद्र में लाना है, जिन्हें अक्सर नीति–निर्माण और मीडिया विमर्श के शोर में दबा दिया जाता है। वे महिलाएँ जिन्होंने बंधनों को तोड़कर अपने लिए नई राहें बनाई। "मंजरी" का यह प्रयास उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि है जिनकी आवाजें दबा दी गईं, और उन सभी के प्रति प्रतिबद्धता है जो अब भी न्याय की राह पर संघर्षरत हैं। यह अंक एक दस्तावेज है– समय के खिलाफ, चुप्पी के खिलाफ, और उस बाजार के खिलाफ जो मनुष्य को वस्तु में बदल देना चाहता है।

Nsrivastava

नीना श्रीवास्तव

अनुक्रम

4

10

33

21

25

अनु प्रिया
(कलाकार/लेखिका)

सुपौल बिहार में जन्मीं अनु प्रिया जी के साठ से अधिक किताबों के आवरण एवं पत्र–पत्रिकाओं में रेखाचित्र प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य अकादमी, राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, अल्टरनोट प्रकाशन, अगोर प्रकाशन, प्रकाशन विभाग आदि से किताबों के आवरण पर निरंतर इनके द्वारा बनाये गए चित्र का प्रकाशन होता रहता है।

थीम पेपर

मृत्युदंड से बड़ा बदलाव हो सकता है, बशर्ते समय पर हो : सुनीता

एसिड अटैक से बाल–बाल बचीं, उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ और 17 बार शारीरिक हमले झेलने के बाद भी वो बच गईं। लेकिन 46 वर्षीया सुनीता कृष्णन आसानी से निराश होने वाली शख्सियत नहीं लगतीं। प्रज्वला की संस्थापक– जो खुद को 'यौन तस्करी और यौन अपराध के मुद्दे पर काम करने वाली एक अग्रणी मानव तस्करी विरोधी संस्था' बताती है'– सुनीता कृष्णन एक लौह नारी हैं जो चुनौतियों से घबड़ाती नहीं हैं बल्कि उनके साथ चलती हैं। सुनीता कृष्णन से www.thequint.com के लिए नमिता भंडारे ने वर्ष 2018 में एक साक्षात्कार लिया था। प्रस्तुत हैं उसके कुछ अंश–

हैदराबाद में एक पुराने वेश्यालय को पुनर्वास केंद्र में परिवर्तित करके प्रज्वला की शुरुआत हुई थी। कृष्णन के अनुसार, आज तक इसने जबरन यौन श्रम से 20,000 लड़कियों और महिलाओं को बचाया है और उनमें से 18,500 का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया है, उन्हें वेल्डिंग या बढ़ईगिरी जैसे आजीविका कौशल प्रदान किए हैं जिससे वे स्वतंत्र जीवन जी सकेंगी। कृष्णन ने बताया कि 1,200 महिलाओं और लड़कियों के लिए जगह के साथ, प्रज्वला दुनिया का सबसे बड़ा आश्रय गृह है।

♦ सामूहिक बलात्कार, विशेष रूप से चार महीने की बच्ची सहित छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 11 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषी पाए जाने वालों को मृत्युदंड दिया जाएगा। इस अध्यादेश पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

♦ मुझे लगता है यह एक स्वागत योग्य कदम है। इरादा नेक है। लेकिन मेरे विचार से, प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया के रूप में लाया गया कोई भी कानून टिकाऊ नहीं होता। कानून के प्रभावी होने से पहले कई चीजों को व्यवस्थित करना जरूरी है। अगर पुलिस स्टेशन बच्चों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं, अस्पताल बच्चों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं, अदालतें बच्चों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखती हैं, तो बच्चे अदालत में गवाही कैसे दे पाएंगे? मैं यौन अपराधियों के पंजीकरण और उनके लिए सहायता कार्यक्रम की समर्थक हूं। यही सब बदलाव लाने में सहायक होगा। मैं मानती हूँ कि मृत्युदंड एक बड़ा निवारक साबित हो सकता है, बशर्ते कि सुनवाई शीघ्र हो और समयबद्ध तरीके से उसे लागू किया जाए।

20,000 लड़कियों को यौन श्रम से बचाया

यदि कोई व्यक्ति सामूहिक बलात्कार का दोषी पाया जाता है और पिछले पाँच वर्षों से मेरी जेल में राजकीय अतिथि के रूप में रह रहा है, तो फिर निवारक प्रभाव कैसे पड़ेगा?

लेकिन लोकतंत्र में निश्चित रूप से आपको अपील की प्रक्रिया की अनुमति मिलनी चाहिए। हमारे देश में सबसे अधिक छूट इसी तथ्य से मिलती है कि हम कानून से बच निकलते हैं। बस सर्वोच्च प्राधिकरण के पास जाने की बात है। यहीं से अध्यादेश के प्रति मेरी आपत्ति शुरू होती है। एक जमीनी स्तर की कार्यकर्ता के रूप में, मुझे नहीं लगता कि यह जमीनी स्तर पर कारगर साबित होगा। इस तरह की व्यवस्था के सही ढंग से काम करने से पहले बहुत सारी बुनियादी संरचना तैयार करनी होगी। आपको एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो पीड़ितों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो। देश में बच्चों के लिए विशेष न्यायालय होने चाहिए, लेकिन इनकी संख्या न के बराबर है। ऐसा लगता है कि इस देश में बच्चों को प्राथमिकता नहीं दी जाती।

♦ 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम में बलात्कार के लिए पहले से ही मृत्युदंड का प्रावधान है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2016 में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के 94.6% मामले उनके परिचित पुरुषों द्वारा किए गए थे, जिनमें पिता, भाई, चाचा आदि शामिल हैं। ऐसे में क्या आपक. ो नहीं लगता कि इस तरह का अध्यादेश लाने पर रिपोर्टिंग में कमी आएगी?

♦ मेरे विचार में, परिवार के किसी परिि चत सदस्य द्वारा किया गया कोई भी अपराध गंभीर अपराध है। यह केवल शारी. रिक उत्पीड़न ही नहीं, बल्कि विश्वास का भी उल्लंघन है। यह समाज की बुनियाद को हिला देता है, इसलिए इसकी सजा कड़ी होनी चाहिए। हाँ, यह एक समस्या है कि इस प्रकार के अपराधों की रिपोर्ट कम दर्ज की जाती है क्योंकि इनमें से अधिकांश अपराध परिवार के परिचित सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। लेकिन हालात बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं, बल्कि ये है कि ज्यादा से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आप चार महीने के बच्चों के बलात्कार की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे ये हमारे देश में पहली बार हो रहा हो। बात बस इतनी है कि आज परिवार रिपोर्ट करने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। दस या बीस साल पहले, पूरा सिस्टम उन्हें समाज से बहिष्कृत कर देता था। आज ज्यादा से ज्यादा परिवार और लोग मानते हैं कि अगर हम आवाज उठाएंगे, तो हमें समाज से बहिष्कृत नहीं किया जाएगा। समाज में जितना आक्रोश बढ़ेगा, उतने ही ऐसे मामले सामने आएंगे। जब आसिफा के लिए हैशटैग बनाया जाएगा, तो देश की बाकी आसिफाएं भी आवाज उठाएंगी। उन्हें लगेगा, ''अगर लोग उसके साथ खड़े हो सकते हैं, तो शायद लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे।''

♦ जब आप महज 15 साल की थीं, तब आठ पुरुषों ने आपका सामूहिक बलात्कार किया था। पीछे मुड़कर देखें तो आपने इससे निपटने के लिए क्या तरीके अपनाए? क्या पीड़ित होने के कारण आपको कलंक और अलगाव का सामना करना पड़ा? और क्या पिछले 26 वर्षों में बलात्कार पीड़ितों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में कोई खास बदलाव आया है?

♦ जब मैं उन सब चीजों से गुजरी, तो चारों ओर घोर शत्रुता का माहौल था और सारा दोष मुझ पर मढ़ा गया। मेरे माता–पिता को समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे कैसे पेश आएं। उन्हें यह भी नहीं सूझ रहा था कि वे क्या कहें। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई, वह थी मेरा खुद से जुड़ाव। मैंने अपनी ताकत अपने भीतर से, अपने अंदर के दर्द से मिली शक्ति से हासिल की। हर दिन इतने सारे बाल पीड़ितों को मेरे घर में छोड़ दिया जाता है क्योंकि परिवार को अपमानित महसूस होता है। उन्हें लगता है कि अगर बच्चा उनके साथ रहता है, तो वे शर्मिंदगी सहन नहीं कर पाएंगे और इसका असर परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ेगा।

मैंने इसका सामना किया है। और मैं आज भी लोगों को इसका सामना करते हुए देखती हूँ, आपको पारिवारिक समारोह या सामाजिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि आप चर्चा का विषय बन जाएँगे। आपसे कहा जाता है, ''आप समारोह को खराब कर देंगे।'' पीड़ितों को आज भी इसी तरह की शर्मिंदगी और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह पहले से कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। फिर भी, हम बलात्कारियों को समाज से बहिष्कृत नहीं करते। बलात्कारियों को कलंक का सामना नहीं करना पड़ता। अदालत में उनका कानूनी प्रतिनिधित्व होता है। इसका एक उदाहरण डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम हैं, जो यौन अपराध के दोषी हैं। उनके समर्थन में तो लोग हिंसक प्रदर्शन करने लगे थे। कठुआ में तो वकीलों ने कथित बलात्कारियों का पक्ष लिया। यही मानसिकता है। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक पीड़ितों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ सकता। और दुनिया भर में यही हाल है, पीड़ितों को ही दोषी ठहराया जाता है, उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है, जबकि बलात्कारियों को खुली छूट मिलती है।

♦ भारत में 1.8 करोड़ से अधिक लोग आधुनिक गुलामी की स्थिति में जी रहे हैं, जिसमें यौन कार्य, घरेलू काम, शारीरिक श्रम और यहाँ तक कि जबरन विवाह भी शामिल हैं। दासरा के अनुसार, यौन व्यापार में शामिल 80% महिलाओं और बच्चों की तस्करी की गई है। लेकिन 2016 में तस्करी के केवल 8,132 मामले ही दर्ज किए गए। इस समस्या की व्यापकता और कानून में इसके अभियोजन के बीच इस भारी अंतर को आप कैसे समझाएँगे?

♦ राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अंतर्गत रिपोर्टिंग में समस्या यह है कि देश भर में कानून का स्पष्ट रूप से पालन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, कई दर्ज मामलों को मानव तस्करी के बजाय अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत दर्ज किया जा रहा है। मैं अकेले ही महीने में 60 लड़कियों को बचाती हूँ। इसका मतलब है कम से कम 40 FIR दर्ज होना। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सभी 40 FIR NCRB के डेटा में दर्ज होती हैं या नहीं। इसलिए NCRB का डेटा हमेशा सटीक नहीं होता।

♦ बहरहाल, आपकी अपनी वेबसाइट आधुनिक गुलामी की स्थितियों में रहने वाले भारी संख्या में लोगों के बारे में बात करती है।

मेरा अनुमान है कि भारत में तीस लाख महिलाएं और बच्चे यौन गुलामी में हैं। मैं 'यौन व्यापार' शब्द स्वीकार नहीं करती, मैं

'यौन गुलामी' शब्द को प्राथमिकता देती हूं। इनमें से 45 प्रतिशत बच्चे हैं। और इनमें से मुश्किल से 7 प्रतिशत ही बचाए जा पाते हैं।

♦ इसलिए हम एक समाज के रूप में पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं।

♦ बिलकुल नहीं। अगर हम ऐसा कर रहे होते, तो प्रज्वला की आवश्यकता ही नहीं होती। हम जो कर रहे हैं वह बहुत छोटा सा प्रयास है। हमारे पास अभी तक कोई व्यापक कानून नहीं है। विधेयक अभी भी संसदीय स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है। दरअसल, इस नए विधेयक के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं क्योंकि यह मेरे द्वारा 2003 में दायर की गई सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका के संदर्भ में एक निर्देश के रूप में सामने आया है। मैं इसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि कम से कम शून्य से कुछ तो उत्पन्न हुआ है। पहली बार सरकार पीड़ित–केंद्रित दृष्टिकोण अपना रही है। पहली बार संगठित अपराध को संगठित अपराध के रूप में मान्यता दी जा रही है और उससे लड़ने के लिए एक संगठित तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। पहली बार पुनर्वास के नाम पर बजट आवंटित किया जा रहा है। यह अब तक के सबसे आशाजनक पीड़ित–केंद्रित कानूनों में से एक है और मुझे उम्मीद है कि यह अगले सत्र में पारित हो जाएगा।

♦ मानव तस्करी एक व्यापक लेकिन अदृश्य अपराध है। 2009 में दिए गए अपने TED भाषण में आपने उल्लेख किया था कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ना है। क्या आप समझा सकती हैं कि कैसे?

♦ सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग यह नहीं मानते कि मानव तस्करी उनके साथ हो सकती है। वे सोचते हैं कि यह गरीबों और हाशिए पर रहने वालों या किसी दलित बच्चे की समस्या है। वे यह नहीं समझते कि उनके अपने बच्चे भी कितने असुरक्षित हो सकते हैं। मेरे लिए यह इनकार सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है क्योंकि जब तक आप इसे किसी और की समस्या के रूप में देखते रहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया यही होगी, ''क्या यह वाकई इतना बुरा हो सकता है?'' आज की तकनीक के दौर में, पहले से कहीं अधिक, यह समझना आवश्यक है कि अपराध किसी भी बच्चे को निशाना बना सकता है, चाहे वह मध्यम वर्ग का हो या उच्च मध्यम वर्ग के परिवार का। साइबर पोर्नोग्राफी या साइबर तस्करी के लिए यौन तस्करी का शिकार होने का खतरा हर किसी में है। इसका जवाब हममें से हर एक को देना होगा। हम सभी को अपने भीतर से फैसला लेना होगा और मेरे लिए चुप्पी तोड़ने का यही असली मतलब है। आपको अपने बेटों से बात करनी चाहिए ताकि वे इन लड़कियों की तस्करी का कारण न बनें। उन्हें इसकी मांग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। एक अभिभावक के रूप में, मैं अपने परिवार में चुप्पी कैसे तोडूँ ताकि मैं इस समस्या का हिस्सा न बनूँ? अगर पाँच साल की बच्ची को वेश्यालय में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि भारत में कहीं कोई आदमी उसका बलात्कार करना चाहता है। वह आदमी किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया है। वह हमारा भाई या पिता या हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति है।

♦ बचाव के बाद महिलाओं और लड़कियों के साथ वास्तव में क्या होता है, यह हम बहुत कम ही देख पाते हैं। उनके पुनर्वास में क्या चुनौतियाँ हैं? आश्रय गृहों की हालत बेहद खराब है और महिलाओं और लड़कियों के प्रति समाज में घोर कलंक जुड़ा हुआ है, तो हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि वे दोबारा जबरन यौन शोषण के धंधे में न फँसें?

(हंसते हुए) यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं यथासंभव सरल शब्दों में देने की कोशिश करूंगी। मानव तस्करी से व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को अपूरणीय क्षति पहुँचती है। जब कोई व्यक्ति किसी सुरक्षित स्थान, जैसे कि सुरक्षा सेवा, में प्रवेश करता है, तो इस विशेष क्षति का समाधान करना आवश्यक हो जाता है– चाहे वह तस्करी की प्रक्रिया के दौरान हुई सैकड़ों बीमारियों के रूप में शारीरिक क्षति हो या दर्द और आघात के रूप में मनोवैज्ञानिक क्षति। मानव तस्करी का शिकार हुए कई लोग कुछ दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को सामान्य मान लेते हैं और तस्कर से लगाव विकसित कर लेते हैं। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है। इसलिए आश्रय गृह के रूप में मौजूद किसी भी सुरक्षित स्थान को इन सभी समस्याओं का समाधान करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश आश्रय गृहों में इन लड़कियों के पुनर्वास के लिए कोई समग्र योजना नहीं होती है। प्रज्वला शायद पुनर्वास कार्यक्रम की वास्तविकता का सबसे सशक्त उदाहरण है। यह कार्यक्रम न केवल बच्चे या वयस्क को बाहरी जीवन के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें बाहरी दुनिया में होने वाले कलंक और अस्वीकृति से निपटने के लिए भी तैयार करता है।

एक तरफ हम उसे मनचाही शिक्षा या आजीविका प्रशिक्षण दे रहे हैं। दूसरी तरफ, हम उसे सरकार से मिलने वाले उन अधिकारों के लिए तैयार कर रहे हैं जो उसे मिलने चाहिए, चाहे वह आवास हो, राशन कार्ड हो या आधार कार्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह समाज द्वारा ठुकराए जाने का सामना करने में सक्षम हो, क्योंकि चाहे हम कितना भी बोलें, जमीनी स्तर पर लोगों को इन लड़कियों को अपने समाज में वापस स्वीकार करने में कठिनाई होती है।

(साभार : www.thequint.com)

बेशर्मी

'ब्राइड ट्रैफिकिंग'

बिहार–असम में बिक रहीं दुल्हनें

शादी के लिए बिहार की लड़कियों की खरीद–बिक्री यानी 'ब्राइड ट्रैफिकिंग' मानव तस्करी का ही एक रूप है। अशिक्षा, गरीबी, दहेज प्रथा व रूढ़िवादी सामाजिक सोच के कारण कई मामलों में परिवारजन अपनी बेटियों का सौदा करते हैं। कई मामलों में कोई नजदीकी रिश्तेदार इसमें बिचौलिये की भूमिका निभाता है। इससे बिलकुल अलग तरह के कुछ अन्य मामलों में बिहार के बाहर के लोगों को बिहार की लड़की से शादी करवाने का झांसा देकर उनसे ठगी भी की जा रही। कई ऐसे मामले भी हैं, जिनमें दूसरे राज्यों में अपनी उम्र से दोगुनी या तिगुनी उम्र वाले पति से ब्याही बेटियां अपने घर लौट आई हैं। उनकी व्यथा सुन माता–पिता के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अपराधों का रिकॉर्ड रखने वाले एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2023 में बिहार में मानव तस्करी के कुल 132 मामले दर्ज हुए, जिनमें पीड़ितों की संख्या 510 थी। इनमें 327 पुरुष और 183 महिलाएं थीं। नाबालिगों की तस्करी के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर था। बिहार में 261 नाबालिग लड़के और 92 लड़कियां मानव तस्करी की शिकार हुईं।

बेशर्मी

एनसीआरबी के 2022 के डाटा में मानव तस्करी के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर था। अभी हाल ही में उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के एक कथित बयान ने बिहारी लड़कियों की शादी के नाम पर होने वाली खरीद फरोख्त को चर्चा में ला दिया है। एक कार्यक्रम में साहू पार्टी कार्यकर्ता से कहते हुए पाए गए कि ''बिहार में लड़कियां 20–25 हजार में मिल जाती है।'' लड़कियों को खरीद–फरोख्त के सामान जैसा बताने वाले इस बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए साहू को नोटिस दिया है।

समय–समय पर कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जिनसे साफ है कि शादी के लिए राज्य की लड़कियों, यहां तक कि नाबालिगों की खरीद–फरोख्त की जाती है। दलालों के माध्यम से ऐसे सौदे करने वाले गिरोह सीमांचल सहित राज्य के कई इलाकों में सक्रिय हैं। बिहार से लाकर लड़कियों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व दिल्ली जैसे राज्यों में बेचे जाने की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आती हैं। 2025 के जून में राजस्थान के कोटा से किसी तरह भागकर पटना पहुंची एक लड़की की निशानदेही पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस लड़की की शादी राजस्थान के एक युवक से करवाई गई थी। जब वह कोटा पहुंची तो पता चला कि एक सौदे के तहत उसे बेचा गया है। तब वह किसी तरह भागकर पटना के दानापुर पहुंची और पुलिस से शिकायत की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शादी करवाने में शामिल चार लोगों को सासाराम जिले के दिनारा से दबोचा।

लोकलाज या फिर लालच की वजह से ऐसे कई मामले तो सामने ही नहीं आ पाते हैं। समाजशास्त्र की लेक्चरर जायना एजाज कहती हैं, ''ब्राइड ट्रैफिकिंग की शिकार अक्सर 18 से 24 साल की महिलाएं होती हैं। ये युवतियां गरीबी की

दलालों के माध्यम से ऐसे सौदे करने वाले गिरोह सीमांचल सहित राज्य के कई इलाकों में सक्रिय हैं। बिहार से लाकर लड़कियों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व दिल्ली जैसे राज्यों में बेचे जाने की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आती हैं।

मारी होती हैं, जो खुद या उनके अभिभावक अक्सर परिचितों के चंगुल में फंस जाते हैं। हरियाणा जैसे राज्य में खराब लिंगानुपात के कारण दुल्हन खरीदने की नौबत आ जाती है। मानव तस्कर इसी परिस्थिति का फायदा दोनों तरफ से उठाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में प्रति एक हजार लड़कों पर केवल 830 लड़कियां थीं, जिससे इस प्रथा को और बल मिला।

एजाज कहती हैं, ''अपनों के ही बीच सक्रिय दलाल युवती या उसके गरीब व अनपढ़ मां–बाप को बेहतर जिंदगी का सपना दिखाते हैं। कई मामलों में पैसे देकर उनका मुंह बंद कर देते हैं तो कई मामलों में अपनी ही चाची–मामी उसे जानबूझकर बेच देते हैं। इन्हें खरीदने वाले भी प्रायः ग्रामीण, अशिक्षित या कम शिक्षित, छोटे किसान या मजदूर होते हैं। साल 2020 में बिहार के कटिहार, अररिया, किशनगंज और सुपौल जिले की 500 लड़कियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फर्जी शादी के नाम पर मानव तस्करी से बचाने की गुहार भी लगाई थी।

हाल में ही बिहार के सीमावर्ती इलाकों से बीते छह माह में 100 लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता सुबोध झा ने इसे लेकर राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज की है। लापता हुई लड़कियों के आंकड़ों का हवाला देते हुए उनका कहना है कि अपने देश के अलावा सऊदी अरब, चीन, नेपाल और ब्राजील में इन्हें करोड़ों में बेचा जा रहा है। पूरे बिहार में यह आंकड़ा हजारों में पहुंच सकता है। वे इस संबंध में कई बार केंद्र सरकार को भी लिख चुके हैं। उनका दावा है कि इन लड़कियों का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी, बच्चा पैदा करने, फर्जी शादी और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अमानवीय गतिविधियों में किया जा रहा है। 2024 मई से अगस्त माह तक पूर्वी चंपारण जिले में ऐसे छह मामले सामने आए, जिनमें पांच लड़कियों को मानव तस्करों के जाल से छुड़ाया गया। बिहार सरकार मानव तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नया सवेरा नामक अभियान चलाकर इसे रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। केवल बीते अगस्त माह में इस अभियान के तहत बिहार पुलिस ने 1,016 नाबालिग बच्चों–बच्चियों तथा महिलाओं को मुक्त कराया। इसके साथ ही 197 पुरुष और 53 महिला तस्करों को गिरफ्तार भी किया लेकिन, यह भी सच

है कि जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक मानव खरीद–फरोख्त पर पूरी तरह लगाम संभव नहीं हो सकेगा।

बिहार की लड़कियों से शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह भी खूब सक्रिय हैं। पिछले वर्ष रोहतास जिले के डेहरी में पुलिस ने इस गिरोह के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें तीन महिलाएं थीं। इनके पास से सोने–चांदी के आभूषण, नकदी व मोबाइल फोन बरामद किए गए। यह गिरोह दूसरे प्रदेशों के ऐसे उम्रदराज लोगों को निशाना बनाता था, जिनकी शादी नहीं हो पाती थी। पुलिस के अनुसार दूसरे राज्य से एक युवक से शादी के नाम पर करीब डेढ़ लाख रुपये लेकर गिरोह डेहरी लाया था। उसकी शादी डेहरी की एक युवती से होनी थी, इसके पहले पुलिस ने सभी को दबोच लिया। पुलिस का कहना है कि शादी के बाद पकड़ी गईं ये महिलाएं दूल्हे से गहने, नकदी व अन्य सामान लेकर फरार हो जाती थीं। अब पुलिस इनका नेटवर्क खंगाल रही है।

इससे पहले 2024 दिसंबर माह में शादी का झांसा देकर सासाराम में राजस्थान जिले के जालौर जिले के ढाणी निवासी हरचंद राम से दुल्हन और उसके गिरोह ने करीब तीन लाख रुपये ठग लिए और दुल्हन बाथरुम जाने के बहाने फरार हो गई। हरचंद को जब जालसाजी समझ में आई, तब उसने पुलिस से शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ऐसी महिलाओं का नाम–पता अक्सर गलत ही रहता है। इसी तरह का एक मामला बीते साल जुलाई में सहरसा जिले में सामने आया था, जब पुलिस ने सात पुरुषों और तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार तीनों महिलाएं पहले भी कई लोगों से फर्जी शादी कर धन उगाही कर चुकी थीं। बीते वर्ष जून माह में कैमूर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें हरियाणा के पृथला गांव निवासी सूरज कुमार को ठगे जाने का पता तब चला, जब विदाई के बाद लड़की ससुराल जा रही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जाने के दौरान गिरोह के सदस्यों ने जेवर और पैसे तो छीन ही लिए, दुल्हन को लेकर भी फरार हो गए।

(साभार : www.dw.com)

फोटो: feminisminindia.com

बाढ़ में बचपन तबाह

फोटो : यूनिसेफ

सौदा मासूमियत का

स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले दलालों की नजर ऐसे परिवारों पर रहती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाढ़ के दौरान जान बचाने की जद्दोजहद के बीच अपने मां–बाप से बिछुड़ जाते हैं। राहत शिविरों में रह रहे इन बच्चों पर भी मानव तस्करों की पैनी निगाह रहती है।

बिहार के कई जिलों में हर साल आने वाली बाढ़ सैकड़ों बच्चों से उनका बचपन छीन ले जाती है। सहानुभूति व आर्थिक मदद की आड़ में मानव तस्कर बच्चों के माता–पिता को यह समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि उनका बेटा या बेटी पूरे परिवार को भुखमरी से बचाने में कामयाब हो सकता है, बशर्ते बच्चों को उन्हें सौंप दिया जाए। जीवन की चाह में परिवार अपने कलेजे के टुकड़े को उन दलालों के हाथों सौंप देता है। घर से निकलने के बाद फिर उन बच्चों के साथ जो गुजरता है उसकी कल्पना भर से रूह कांप जाती हैं।

हाल के वर्षों में पटना जिले के मोकामा में रेलवे पुलिस जीआरपी व रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में महानंदा एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाए जा रहे सात बच्चों को दलालों के चंगुल से मुक्त कराया गया। पुलिस ने एक मानव तस्कर को भी गिरफ्तार किया था। इन बच्चों को तीन हजार रूपये मासिक की पगार का प्रलोभन दिया गया था जबकि पेशगी के तौर पर उनके मां–बाप को एक हजार रुपये दिए गए थे। ऐसा ही एक मामला गया जिले की शेरघाटी से भी आया जब गुजरात से ले जाए जा रहे मजदूरों व बाल मजदूरों से भरी बस को डेहरी में पकड़ा गया। बस में भेड़–बकरी की तरह ठूंसकर इन मजदूरों को सूरत की कपड़ा मिल में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था।

बाढ़ में बचपन तबाह

रोहतास जिले में बाल तस्करी रोकने का काम कर रही संस्था सेंटर डायरेक्ट, पटना की सदस्य सविता पांडेय कहती हैं, ''दलालों की सक्रियता बढ़ गई है। वे तरह–तरह के दांव–पेंच अपना रहे हैं। प्रलोभन में फंसकर इन बच्चों के मां–बाप उन्हें दलालों के साथ गुजरात के सूरत व राजस्थान के जयपुर भेज देते हैं।''

वैसे तो संपूर्ण बिहार किंतु खासकर सीमांचल व कोसी बेल्ट यथा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार व खगड़िया से सस्ते श्रम, मानव अंग, देह व्यापार एवं झूठी शादी के नाम पर बालक–बालिकाओं की तस्करी की जाती है। जाहिर है बाढ़ जैसी भयंकर आपदा के बाद पहले से ही गरीबी की मार झेल रहे परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। गरीबी के कारण उनमें आर्थिक असुरक्षा का भाव आता है। स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले दलालों की नजर ऐसे परिवारों पर रहती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाढ़ के दौरान जान बचाने की जद्दोजहद के बीच अपने मां–बाप से बिछुड़ जाते हैं। राहत शिविरों में रह रहे इन बच्चों पर भी मानव तस्करों की पैनी निगाह रहती है।

स्थानीय अपराधियों से मिले ये दलाल दूर–दराज के गांवों में पहुंच जाते हैं। अपने नेटवर्क से मिले इनपुट के आधार पर ये बच्चे–बच्चियों के माता–पिता को बेहतर जिंदगी का सपना दिखाते हैं और एडवांस के तौर पर उनको अच्छी–खासी रकम दे देते हैं। इन तस्करों की सक्रियता पर पुलिस–प्रशासन भी ध्यान नहीं दे पाता है क्योंकि आपदा के समय में उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की होती है। बच्चे या बच्चियां जैसे ही मां–बाप द्वारा उनके हवाले कर दिए जाते हैं, वे उन्हें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कोलकाता ले जाते हैं जहां उनकी मासूमियत को दरकिनार कर उन्हें घरेलू कामगार, ढाबों, ईंट उद्योग, कशीदाकारी, लोहा, चूड़ी या कालीन फैक्ट्री में झोंक दिया जाता है। कुछ दिनों तक तो मां–बाप से संपर्क बना रहता है लेकिन बाद में वह भी टूट जाता है। दलाल के वादे के अनुसार मां–बाप को तो दूर, बच्चों को भी पगार नहीं दी जाती है। अब वहां वे बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। बच्चियों को तो इससे भी त्रासद स्थिति झेलनी पड़ती है। उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है। पूर्णिया जिले के बायसी में एक बच्चे को माता–पिता ने मानव तस्कर के हवाले कर दिया। उसने हर महीने पैसे भेजने का आश्वासन दिया था। कुछ दिनों बाद बच्चे का मां–बाप से संपर्क खत्म हो गया। काफी अरसे बाद जब पुलिस ने

फोटो: india.mongabay.com

बाढ़ में बचपन तबाह

राजस्थान से कुछ बच्चों को मुक्त कराया तो उनमें बायसी का वह बच्चा भी था। इसी तरह 2018 में जब पुलिस ने सीमांचल एक्सप्रेस से बारह बच्चों को रेस्क्यू किया तो उस समय एक बच्चे ने बताया कि वह उसके गांव से आने वाले एक चाचा के साथ जा रहा था लेकिन जैसे ही पुलिस की गतिविधियां दिखी, चाचा गायब हो गया।

आंकड़ों के मुताबिक, 2019 में सीमांचल के इलाके पूर्णिया से तीन, कटिहार से पांच, किशनगंज से तीन, अररिया से चार बच्चे लापता हो गए जबकि 2018 में 17 और 2017 में 24 बच्चों के गुम होने का मामला विभिन्न थानों में दर्ज हुआ।

कोसी के इलाके में गरीब लोगों की बच्चियों को शादी के नाम पर गुमराह किया जाता है। उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों के कई थानों में ऐसे मामले दर्ज हैं। यहां ब्राइड ट्रैफिकिंग एक बड़ा मुद्दा है। जिन इलाकों में लिंगानुपात कम है वहां बच्चियां आसानी से मानव तस्करों की शिकार हो जातीं हैं। यहां मांग व आपूर्ति के हिसाब से झूठी शादियां होती हैं। इसके नाम पर यहां की अधिकतर बच्चियों को तथाकथित विवाह के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व पंजाब भेज दिया जाता है, जहां उन्हें विवाह के नाम पर कई बार बेचा जाता है या फिर देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया जाता है। जहां से जीवनभर वे घर वापसी की सोच भी नहीं सकती। सूत्रों के मुताबिक दस से पंद्रह ऐसे पुरुष व महिला मानव तस्कर हैं जो कई बरसों से कोसी व सीमांचल के इलाके में सक्रिय हैं।

अगर कभी किसी बच्ची की वापसी हो भी जाती है तो तस्करों व स्थानीय अपराधियों के दहशत के मारे उसके मां–बाप आगे की कार्रवाई से हिचक जाते हैं जिससे गुनाहगारों को सजा नहीं मिल पाती है। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी तंत्र को ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। खासकर राहत शिविरों का सर्वे किया जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि कहीं बच्चे गायब तो नहीं हो रहे। बाल मजदूरी विरोधी अभियान (सीएसीएल) के बिहार चौप्टर के राज्य संयोजक नवलेश कुमार कहते हैं, ''बाढ़ के कारण विस्थापन की अवस्था में मानव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं।'' मानव तस्करी रोकने के लिए राज्य में दिसंबर, 2008 से ही अस्तित्व नाम की योजना लागू है। किंतु इसके असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे राज्य में नौ से चौदह साल की आयु के बाल श्रमिकों की संख्या दस लाख थी। चूंकि बाल तस्करी सीधे तौर पर बालश्रम से जुड़ा है इसलिए इस पर तो नियंत्रण पाना ही होगा।''

बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के बिहार–झारखंड के राज्य संयोजक मुख्तारुल हक कहते हैं, ''बिहार के करीब 11 लाख बच्चे देशभर में बतौर श्रमिक काम कर रहे हैं। अशिक्षा इसलिए है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो ये कहां जाएंगे, वे काम करने चले जाते हैं।'' कोविड व लॉकडाउन के कारण जो परिवार घर लौट आए थे, दलाल उन्हें प्रलोभन दे बस भेजकर काम पर बुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो श्रमिक लौट रहे हैं वे अपने बच्चों को भी ले जा रहे हैं। नेपाल के जो सात जिले बिहार के सीमांचल से लगते हैं, बाल तस्करी के लिए वे बड़े संवेदनशील है। हालांकि तस्करी रोकने को सरकार ने तमाम उपाय कर रखे हैं।

बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 2009 में बालश्रम उन्मूलन, पुनर्वास व विमुक्ति के लिए कार्य योजना बनाई गई जिसमें सत्रह विभागों की हिस्सेदारी है। सभी की अपनी–अपनी जिम्मेदारी तय की गई है। जैसे शिक्षा विभाग रेस्क्यू किए गए बच्चों का स्कूल में नामांकन कराता है और फिर उसकी ट्रैकिंग की जाती है। वैसे भी बच्चों के पुनर्वास की सबसे अच्छी जगह स्कूल है। इसी तरह समाज कल्याण विभाग अनाथ बच्चों का लालन–पोषण करने वाले परिवार को परवरिश योजना के तहत एक हजार रुपये प्रतिमाह का भुगतान करता है। कुसहा त्रासदी के बाद रोकथाम के लिए अस्तित्व योजना को लागू किया गया जबकि पुलिस ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) का गठन किया जिसका नोडल अफसर डीएसपी स्तर के अधिकारी को बनाया गया। मुख्तारुल हक कहते हैं, ''ऐसा नहीं है कि इसे रोकने के प्रावधान नहीं बनाए गए हैं, किंतु बगैर सामाजिक चेतना व व्यावहारिक परिवर्तन के स्थिति को बदला नहीं जा सकता।''

बाल तस्करी रोकने की सरकारी व्यवस्थाएं जितनी हों लेकिन यह भी सच है पुलिस–प्रशासन की नाक के नीचे तस्करों का खेल बदस्तूर जारी है। बात भले ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की की जाती हो लेकिन आज भी मुनिया का सौदा हो रहा है।

(साभार :www.dw.com)

ज्वलंत मुद्दा

बाल व्यापार और एपस्टीन : देह, सत्ता और मौन का वैश्विक तंत्र

फोटो : ballardbrief.byu.edu

नीना श्रीवास्तव

बाल व्यापार केवल एक आपराधिक गतिविधि नहीं है, यह हमारे समय की सबसे निर्मम संरचनात्मक हिंसाओं में से एक है। जब हम जेफरी एप्सटीन के मामले को देखते हैं, तो वह केवल एक व्यक्ति की विकृति का प्रसंग नहीं रह जाता बल्कि वह उस वैश्विक व्यवस्था का आईना बन जाता है जिसमें धन, पुरुष सत्ता और संस्थागत संरक्षण मिलकर बच्चों के शरीर को एक बाजार में बदल देते हैं।

पूँजीवादी आधुनिकता ने हर चीज को वस्तु में बदलने की प्रवृत्ति दिखाई है– श्रम, भूमि, समय, यहाँ तक कि भावनाएँ भी। बाल व्यापार इस प्रवृत्ति का सबसे क्रूर रूप है। यहाँ देह 'माल' है, और मासूमियत 'डिमांड'। जेफरी

ज्वलंत मुद्दा

एप्सटीन के नेटवर्क में कथित रूप से नाबालिग लड़कियों को धन और प्रभाव के बदले शक्तिशाली पुरुषों तक पहुँचाया जाता था। यह व्यवस्था आकस्मिक नहीं थी, यह संगठित थी। यहाँ प्रश्न यह नहीं कि कुछ 'बुरे लोग' थे। प्रश्न यह है कि वे इतने वर्षों तक बच कैसे गए? जेफरी एप्सटीन के संबंध जिन लोगों से जोड़े गए, उनमें प्रभावशाली नाम शामिल रहे– जैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रम्प और प्रिंस एंड्रू। इन संबंधों का अर्थ अपराध सिद्ध होना नहीं है, पर यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि नेटवर्क का दायरा सत्ता के उच्चतम स्तरों तक फैला बताया गया। यहीं सत्ता का कवच काम करता है। जब अपराधी शक्तिशाली हों, तो जांच धीमी हो जाती है, गवाह डरे रहते हैं, और पीड़ितों की आवाजें हाशिये पर चली जाती हैं। न्याय की अवधारणा तब वर्ग–सापेक्ष हो जाती है।

नारीवादी दृष्टि से देखें तो बाल व्यापार पितृसत्ता का संस्थागत विस्तार है। पितृसत्ता यह मानकर चलती है कि स्त्री देह– और विशेषकर गरीब, अश्वेत या हाशिये की लड़कियों की देह– उपलब्ध है। जेफरी एप्सटीन प्रकरण में भी अधिकांश पीड़िताएं सामाजिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से थीं। अक्सर यह कहा गया कि लड़कियों को 'पैसे दिए गए, मानो इससे शोषण वैध हो जाता हो। लेकिन जब शक्ति–संतुलन असमान हो, उम्र नाबालिग हो, और आर्थिक विवशता मौजूद हो तो 'सहमति' शब्द खोखला हो जाता है।

जेफरी एप्सटीन के खिलाफ आरोप वर्षों पहले सामने आए थे। 2008 में उसे अपेक्षाकृत हल्की सजा मिली जो बाद में गंभीर आलोचना का विषय बनी। यह केवल न्यायिक भूल नहीं थी, यह उस संस्कृति का संकेत था जिसमें प्रतिष्ठा और नेटवर्क न्याय से अधिक प्रभावी हो सकते हैं। मीडिया ने 2019 में गिरफ्तारी के बाद इस मामले को व्यापक रूप से उठाया। जेल में उसकी मृत्यु, जिसे आधिकारिक रूप से आत्महत्या बताया गया ने अनेक सवाल खड़े किए। लेकिन षड्यंत्र सिद्धांतों से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है– क्या हमारी संस्थाएँ कमजोरों की रक्षा करने में विफल हो रही हैं?

बाल व्यापार किसी एक देश तक सीमित नहीं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और अन्य एजेंसियों के अनुसार, विश्वभर में लाखों बच्चे श्रम, यौन शोषण या तस्करी के जाल में फँसे हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका के कई देश– गरीबी, विस्थापन, लैंगिक असमानता और संघर्ष की स्थितियों में– बाल तस्करी के लिए उर्वर जमीन बन जाते हैं। फर्क केवल इतना है कि कहीं अपराधी स्थानीय गिरोह होते हैं, और कहीं अभिजात नेटवर्क। जेफरी एप्सटीन का मामला इसलिए प्रतीकात्मक है क्योंकि उसने यह मिथक तोड़ा कि "सभ्य समाजों" में ऐसे अपराध नहीं होते। इंटरनेट ने बाल शोषण को नई परत दी है– ऑनलाइन ग्रोपिंग, बाल पोर्नोग्राफी, डार्क वेब पर तस्करी। अब अपराध सीमाओं से परे है। डिजिटल पूँजीवाद ने निगरानी और शोषण को अधिक जटिल बना दिया है। बच्चों की छवियाँ, डेटा और निजी जीवन भी बाजार का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है– पीड़ितों की आवाज को केंद्र में रखना। जब तक हम बच्चों को 'संरक्षण के पात्र नहीं, बल्कि अधिकार–धारी' नागरिक नहीं मानेंगे, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा।

जेफरी एप्सटीन अब जीवित नहीं है, पर उसका नाम एक प्रतीक बन चुका है– उस अँधेरे गठजोड़ का जिसमें देह, धन और सत्ता मिलते हैं। बाल व्यापार को समाप्त करना केवल कानून का प्रश्न नहीं, यह नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष है। यह हमसे पूछता है– क्या हम ऐसी व्यवस्था में जीना स्वीकार करते हैं जहाँ सबसे कमजोर शरीर भी बाजार में बदल दिए जाएँ?

हर मुल्क की यही दास्तान

देश बदल जाते हैं मगर कहानियां नहीं बदलतीं

विश्वभर में लाखों महिलाएं और लड़कियां मानव तस्करी के काले साये में जी रही हैं। चाहे बल प्रयोग, दबाव या धोखे से फंसाई गई हों, वे अनिश्चितता, भय और पीड़ा के बीच जीवन व्यतीत करती हैं। मानव तस्करी गुप्त रूप से संचालित होती है, इसलिए पीड़ितों की सटीक संख्या प्राप्त करना कठिन है। तस्करी के शिकार लोगों में से अधिकांश महिलाएं और लड़कियां हैं, और इनमें से तीन–चौथाई को यौन शोषण के उद्देश्य से तस्करी का शिकार बनाया जाता है।

जहां कहीं भी गरीबी, संघर्ष और लैंगिक असमानता है, वहां महिलाओं और लड़कियों का जीवन शोषण के खतरे में है। मानव तस्करी एक जघन्य अपराध है जो जिंदगियों, परिवारों और सपनों को चकनाचूर कर देता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के अवसर पर, 2019 में तीन महिला पीड़ित अपनी कहानियाँ सुनाती हैं। उनके शब्द उनकी अविश्वसनीय सहनशीलता का प्रमाण हैं और अपराधियों पर मुकदमा चलाने और पीड़ितों को सम्मान, स्वास्थ्य और आशा की पुनः प्राप्ति की राह में सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

करीमोवा (काल्पनिक नाम), उज्बेकिस्तान

22 वर्ष की आयु में लुइजा करीमोवा ने उज्बेकिस्तान में अपना घर छोड़ दिया और काम की तलाश में किर्गिस्तान के ओश शहर चली गईं। हालांकि, किर्गिस्तान का पहचान पत्र या विश्वविद्यालय की डिग्री न होने के कारण करीमोवा को रोजगार पाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। जब एक महिला ने उन्हें किर्गिस्तान के उत्तर में स्थित राजधानी बिश्केक में वेट्रेस की नौकरी की पेशकश की, तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन बिश्केक पहुँचने के बाद हालात और भी बदतर हो गए। करीमोवा याद करती हैं, "उन्होंने हमें एक अपार्टमेंट में रोक लिया और हमारे पासपोर्ट ले लिए। उन्होंने हमसे कहा कि हमें नए रोजगार दस्तावेजों के लिए दोबारा फोटो खींचनी होगी, ताकि हमें वेट्रेस के रूप में पंजीकृत किया जा सके। यह अजीब लगी, लेकिन हमने उनकी बात मान ली।" फिर,

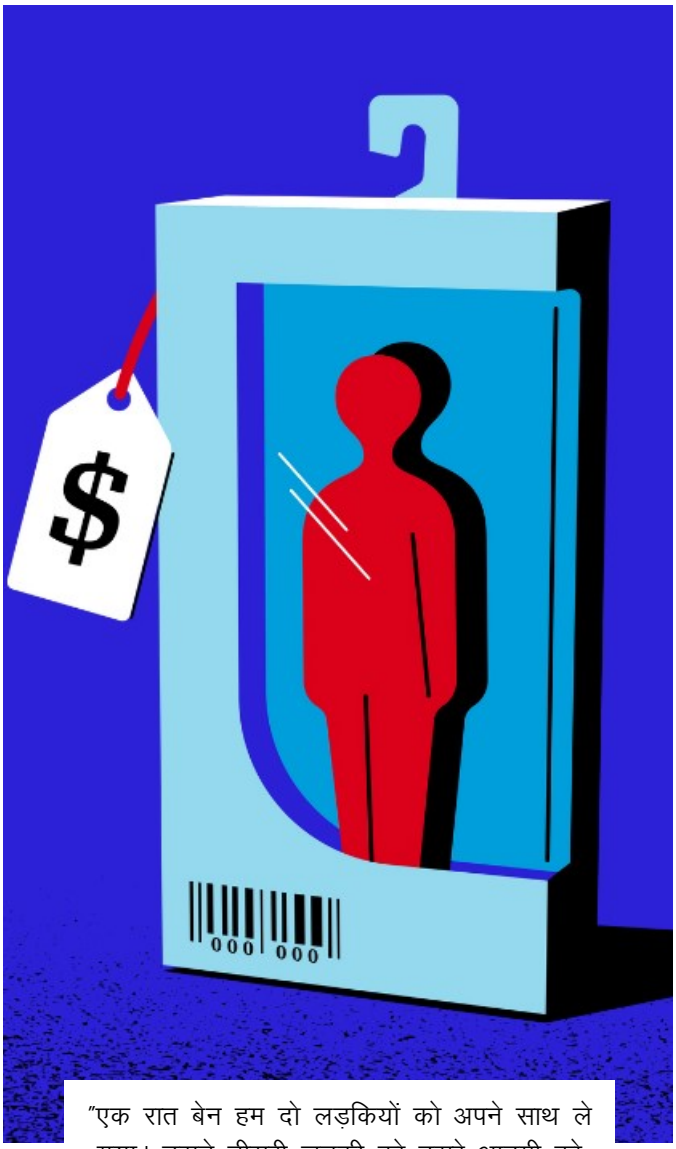

"एक रात बेन हम दो लड़कियों को अपने साथ ले गया। उसने तीसरी लड़की को दूसरे आदमी को सौंप दिया, और मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी, तो वह मुझे किसी दूसरे आदमी को सौंप देगा।''

हर मुल्क की यही दास्तान

करीमोवा और अन्य महिलाओं को दुबई जाने वाले विमान में बिठाया गया, उनके असली पासपोर्टों की जगह नकली पासपोर्ट दिए गए और उतरने के बाद उन्हें एक अपार्टमेंट में ले जाया गया। करीमोवा कहती हैं, "हमें यौन गुलाम बनकर रहना था और ग्राहकों की हर इच्छा पूरी करनी थी। अगले दिन मुझे एक नाइट क्लब में भेजा गया और कहा गया कि मुझे महीने के अंत तक कम से कम 10,000 अमेरिकी डॉलर कमाने होंगे।" अठारह महीनों तक उसका जीवन नाइट क्लब के काम में ही व्यतीत हुआ। एक शाम क्लब से निकलते समय करीमोवा ने एक पुलिस कार को पास आते देखा, लेकिन भागने के बजाय वह वहीं रुक गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

"मुझे वापस ओश भेज दिया गया, और चूंकि मेरा पहचान पत्र फर्जी था, इसलिए मैंने एक साल जेल में बिताया। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, और तीन तस्करों को पकड़ लिया गया।" हालांकि, जेल से रिहा होने के बाद, करीमोवा शर्मिंदा और बेरोजगार होकर सड़कों पर रहने को मजबूर हो गई। उसने फिर से यौन उद्योग में काम करना शुरू कर दिया, तभी पोद्रुगा नामक एक संगठन ने उससे संपर्क किया, जो यौन और मादक पदार्थों की तस्करी की शिकार महिलाओं की सहायता करता है। वह कहती है, "उन्होंने मुझे काम की पेशकश की। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहां ठीक से घुल–मिल पाऊंगी, लेकिन धीरे–धीरे मुझे उन पर भरोसा होने लगा।"

अब करीमोवा ठीक उसी स्थिति को रोकने के लिए काम कर रही हैं जिसमें वह खुद फंस गई थीं। पोद्रुगा के साथ एक आउटरीच कार्यकर्ता के रूप में, वह सौना और अन्य जगहों पर जाती हैं जहां यौनकर्मी हो सकती हैं। "मैं अक्सर ऐसी लड़कियों से मिलती हूं जो तुर्की और दुबई जाकर ज्यादा कमाने का सपना देखती हैं। मैं उनसे कहती हूं, ''कृपया मत जाओ...वहां तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है।'' करीमोवा इन महिलाओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा संसाधन और कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं ताकि उनका भविष्य भी उन्हीं की तरह न हो। "महिलाओं और लड़कियों की तस्करी रोकने के लिए, हमें लोगों को मानव तस्करी के बुरे परिणामों और इसके संकेतों को पहचानने के तरीकों के बारे में जागरूक करना होगा। स्कूलों में, कम उम्र से ही, इस बारे में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है ताकि वे इसका शिकार न बनें।"

मैरी (काल्पनिक नाम), नाइजीरिया

"मैं इस समय जिस दौर से गुजर रही हूँ, वह इतना बड़ा और इतना गंभीर है कि मैं खुद को एक वयस्क के रूप में देखती हूँ," मैरी' कहती हैं, जो एक नाइजीरियाई किशोरी हैं और जिन्हें यौन तस्करों द्वारा इटली ले जाया गया था। "मैं बचपन को पूरी तरह से खो बैठी हूँ।" पश्चिम अफ्रीका के चाड झील क्षेत्र में बोको हराम के विद्रोह ने लाखों परिवारों पर भारी कहर बरपाया है। बेहतर जीवन की तलाश में हर दिन हजारों लोग अपना घर छोड़कर तस्करों के भरोसे अपनी जान जोखिम में डालते हैं।

17 साल की उम्र में मैरी ने यही किया। उसे लगा कि नाइजीरिया के बेनिन सिटी में उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उसने कहीं और अवसर तलाशने शुरू किए। उसकी मुलाकात बेन नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे इटली जाने का खर्च उठाने और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसे एक रेस्तरां में नौकरी दिलाने का वादा किया। बेन से मिलने के कुछ ही समय बाद, मैरी को उसके घर बुलाया गया और उससे शपथ दिलाई गई कि वह भागने की कोशिश नहीं करेगी। मार्च 2016 में, वह लड़कों और लड़कियों के एक समूह के साथ लीबिया के लिए रवाना हुई– जो यूरोप जाने के उनके रास्ते में एक पड़ाव था।

लीबिया में, मैरी ने खुद को खतरे में पाया। "एक रात बेन हम दो लड़कियों को अपने साथ ले गया। उसने तीसरी लड़की को एक दूसरे आदमी को सौंप दिया, और मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी, तो वह मुझे किसी दूसरे आदमी को सौंप देगा और मुझे यूरोप नहीं ले जाएगा। उसने मेरा बलात्कार किया," मैरी कहती हैं। वह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन घर पर किसी से संपर्क करने का कोई साधन नहीं था। वह कहती है, ''मुझे वहां महीनों तक रहना पड़ा, जब तक कि मुझे नाव पर जाने के लिए फोन नहीं आया।''

जब अंततः मैरी को इटली जाने वाली नाव पर बिठाया गया, तो उसे बताया गया कि उसे एक शिविर में रहना होगा और एक वेश्या के रूप में काम करना होगा – ये अन्यायपूर्ण शर्तें थीं जिनसे वह कभी सहमत नहीं हुई थी और जिनसे वह बच नहीं सकती थी। "मैं पैसों के नाम पर सड़क किनारे खड़ी नहीं हो सकती," वह ऊंची आवाज में कहती है। "मेरा भविष्य है। वहां खड़े होकर खुद को बेचना मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, सब कुछ बर्बाद कर देगा।"

अब, जिन लोगों ने मैरी को इटली भेजने का खर्च उठाया था, वे नाइजीरिया में उसकी माँ से पैसे माँग रहे हैं और उसे धमकी दे रहे हैं। उसकी आवाज लड़खड़ाती है जब वह बताती है, ''उन्होंने कहा कि अगर मैंने पैसे नहीं भेजे तो वे मेरी माँ के साथ बहुत बुरा करेंगे।'' वह अपने दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने तक बेचैनी से इंतजार करती है। "मैं बहुत दुखी हूँ। मुझ पर बहुत दबाव है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, मैं बस आजाद होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह सब खत्म हो जाए, भले ही एक दिन के लिए ही सही।"

मानव तस्करी की शिकार होने के कारण असहनीय पीड़ा झेलने के बावजूद, मैरी का बेहतर जीवन का सपना अटूट है। वह आशा से कहती है, "एक दिन मेरे पास मेरे दस्तावेज होंगे, मैं शिक्षा

हर मुल्क की यही दास्तान

प्राप्त करूंगी, मुझे काम मिलेगा।" वह वकील बनना चाहती है और उन लोगों की सेवा करना चाहती है जो उसी की तरह मानव तस्करी का शिकार हुए हैं। "मैं उन लड़कियों को न्याय दिलाना चाहती हूं जिन्हें काम के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करना पड़ता है।"

खावंग नु (काल्पनिक नाम), म्यांमार

खावंग नु अब 24 वर्ष की हैं, म्यांमार के अपने ग्रामीण गांव की एक महिला के धोखे का शिकार हुईं, जिसने उन्हें चीन में मानव तस्करी गिरोह के हवाले कर दिया। खावंग नु, म्यांमार के उत्तरी भाग में स्थित संघर्षग्रस्त और गरीब राज्य कचीन की रहने वाली हैं। वहां रोजगार के अवसर बहुत कम हैं, इसलिए जब उनके गांव की एक महिला ने उन्हें एक चीनी कारखाने में काम करने का प्रस्ताव दिया, तो खावंग नु ने उसे स्वीकार कर लिया। हालांकि, चीन पहुंचने पर खावंग नु को जल्द ही पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा उन्हें बताया गया था। खावंग नु को बच्चे पैदा करने के लिए मानव तस्करी का शिकार बनाया गया था, जो म्यांमार में महिलाओं की तस्करी का 20 प्रतिशत है। खावंग नु को याद है कि जिस इमारत में उसे रखा गया था, उसके फर्श पर उसने 40 से अधिक महिलाओं को देखा था, जिनमें से कुछ की उम्र 16 साल जितनी कम थी।

''वे महिलाओं को गोलियां देते हैं और उनमें शुक्राणु इंजेक्ट करते हैं ताकि वे चीनी पुरुषों के लिए बच्चे पैदा कर सकें,'' खावंग नु बताती हैं। विरोध करने पर उन्हें पीटा और धमकाया जाता था। बच्चे के जन्म के बाद, महिलाओं को कथित तौर पर 1 मिलियन एमएमके (632 अमेरिकी डॉलर) प्राप्त होंगे। खावंग नु किसी तरह अपने परिवार को संदेश भेजने में कामयाब रही, और समुदाय के नेताओं की मदद से, उसके गांव में मानव तस्करी के दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि उसने खावंग नु के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

अंततः, खावंग नु का परिवार पड़ोसियों से पर्याप्त धन इकट्ठा करने में सफल रहा, जिससे उसकी वापसी के लिए फिरौती दी जा सकी। जब वह अपने गाँव लौटी, तो खावंग नु ने चीन में मिली अन्य लड़कियों के नाम स्थानीय अधिकारियों को बताए, और पाँच लड़कियों को बचाकर वापस लाया गया। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के सहयोगी स्थानीय संगठन हतोई जेंडर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की मदद से खावंग नु एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हैं। वे याद करती हैं, "शुरुआत में, जब मैं लौटी, तो मुझे शर्म महसूस हुई और मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। अब, हतोई द्वारा आयोजित पीयर ग्रुप के माध्यम से मानव तस्करी से बची अन्य महिलाओं से मिलने के बाद, मुझे अब अकेलापन महसूस नहीं होता और यह देखकर कि अन्य महिलाएं भी इसी अनुभव से गुजरी हैं, मुझे हिम्मत मिली है।"

(साभार : www.unwomen.org)

समर्पण

सिलीगुड़ी में मानव तस्करी के खिलाफ जंग लड़ रहीं **सुक्ला देबनाथ**

5000 आदिवासी लड़कियों को तस्करी से बचाया

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास शांत चाय बागानों में जन्मीं और पली–बढ़ीं 35 वर्षीया सुक्ला देबनाथ बदलाव की एक सशक्त शक्ति हैं। उन्होंने बचपन से ही अपने समुदाय में महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी का शिकार होते देखा है। बदलाव लाने के दृढ़ संकल्प के साथ, सुक्ला देबनाथ चुपचाप हजारों लोगों की किस्मत बदल रही हैं। मानव तस्करी की भयावह वास्तविकता के खिलाफ उनका हथियार क्या है? एक ब्यूटीशियन का टूलकिट और उनका दृढ़ संकल्प।

'शी द पीपल' के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सुक्ला देबनाथ ने बताया कि कैसे उन्होंने हजारों लड़कियों और महिलाओं को मानव तस्करी से बचाया, किन आघातों ने उनके संकल्प को और मजबूत किया, और आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए काम करना उनका मूल उद्देश्य क्यों है।

न्यू हासिमारा, जो 83 चाय बागानों से घिरा हुआ इलाका है, में एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मीं सुक्ला ने महिलाओं और लड़कियों की मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। सुक्ला बताती हैं कि ''2003 में जब मैं स्कूल में थी, तब मैंने अपने दोस्तों को गायब होते देखा, यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक अनुभव था।'' वो कहती हैं कि उन घटनाओं ने उनकी असाधारण यात्रा की प्रेरक का काम किया।

सुक्ला शहरी समृद्धि के सपनों में फंसी लड़कियों की कड़वी सच्चाई का सजीव वर्णन करती हैं। वे कहती हैं, ''मानव तस्करी शहरी लोगों के लिए सुर्खियां बटोर सकती है, लेकिन देश के इस हिस्से की लड़कियों के लिए यह एक हकीकत है।'' उन्होंने जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया है, ताकि इन लड़कियों को झूठे वादों के लालच में फंसने पर होने वाले गंभीर परिणामों से अवगत कराया जा सके।

अपने गांव में महिलाओं के लिए सीमित विकल्पों के दुष्चक्र को तोड़ने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर– चाहे वे चाय

समर्पण

बागानों में काम कर रही हों या शादी का इंतजार कर रही हों– सुक्ला ने ट्यूशन देकर अपनी शिक्षा का खर्च खुद उठाया, और 2003 में, उन्होंने ब्यूटीशियन के कोर्स में दाखिला लेने के लिए अपनी साइकिल बेच दी। वो कहती हैं कि किसी भी पिता की तरह, मेरे बाबा भी हमारी शादी को लेकर चिंतित रहते थे। यह देखकर मैंने फैसला किया कि मैं अपने परिवार पर बोझ नहीं बनूंगी।

समाज की सेवा करने के दृढ़ संकल्प और उद्देश्य के साथ, सुक्ला ने दूसरों को सशक्त बनाने के मिशन पर कदम रखा। कहती हैं, ''मैंने सोचा कि अगर मैं पैसा कमा सकती हूं, तो कोई भी कमा सकता है, और मैंने समाज की सेवा को अपना ध्येय बना लिया, जिसमें अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग शामिल थे। मेरे कोर्स की बदौलत 5,000 लड़कियाँ आत्मनिर्भर बनी हैं।''

ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण देकर उन्होंने महिलाओं को गाँवों में दुल्हन के मेकअप के लिए कम से कम 8,000–9,000 रुपये और शहरों में इससे भी अधिक कमाने में सक्षम बनाया है। यह सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, यह जीवन को पुनः प्राप्त करने की बात है।

सुक्ला का प्रयास केवल सौंदर्य कौशल सिखाने तक ही सीमित नहीं है। वह अपने समुदाय में मानव तस्करी की भयावह वास्तविकताओं को भी संजीदगी से बयां करती हैं। वह कहती हैं, ''जब लोग शहर आकर हमें बड़े शहरों में जाने के सपने दिखाते थे, तो मैं जागरूकता फैलाती थी। ये सपने लड़कियों को अपनी जिंदगी के सिर्फ 50,000 रुपये देते थे। लेकिन वे लड़कियां कभी वापस नहीं लौटती थीं और ज्यादातर अकल्पनीय जगहों पर पहुंच जाती थीं, जैसे कि यौन तस्करी के जाल में फंस जाती थीं।''

सुक्ला याद करती हैं कि कैसे बेहतर जीवन के सपने देखने वाली लड़कियों को बड़े शहरों में फुसलाकर ले जाया जाता था। स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों के लापता हो जाने से बुरी तरह प्रभावित होकर, उन्होंने वर्तमान पर नियंत्रण पाने और मानव तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई में जागरूकता की शक्ति का उपयोग करने का दृढ़ संकल्प लिया। आर्थिक सशक्तिकरण के अलावा, सुक्ला के प्रयासों ने लड़कियों को यौन उत्पीड़न और अंग तस्करी सहित कई प्रकार की तस्करी से बचाया है। वह बताती हैं, ''सिर्फ यौन उत्पीड़न ही नहीं, ये लड़कियां अंग तस्करी का भी शिकार थीं।'' उन्हें समझाने के लिए, सुक्ला ने भयावह वास्तविकता का उदाहरण देते हुए पूछा, ''क्या आपको पता है कि आपके शरीर में कितना पैसा है?'' इस कठोर प्रश्न से महिलाएं और लड़कियां आहत तो जरूर होती हैं लेकिन इसने न जाने कितनी ही कमजोर लड़कियों को और अधिक शोषण से बचाया है।

सुक्ला कहती हैं, ''मैं 35 साल की हूँ और मुझे लगता है कि रोजगार से ज्यादा जरूरी इंसानी जिंदगी है।'' उनका मिशन महिलाओं को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि पुरुष कभी भी उनके रास्ते में रुकावट न बन सकें। उनके इस सक्रिय दृष्टिकोण ने अब पूरे समुदाय को सतर्क कर दिया है, और लोग मानव तस्करी की संभावित कोशिशों की रिपोर्ट करने के लिए 100 नंबर पर कॉल कर रहे हैं।

सुक्ला देबनाथ की दुनिया में, उनका प्रभाव मेकअप ब्रश की एक हल्की सी कला से कहीं अधिक व्यापक है, यह एक दशक से अधिक समय से लापता लड़कियों को बचाने के गहन कार्य तक फैला हुआ है। वे भावुक होकर बताती हैं, ''ऐसी लड़कियां हैं जो 10 साल से लापता थीं, जिन्हें मैंने बचाया है'' और वे प्रत्येक बचाव को विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ाई में एक मार्मिक जीत के रूप में रेखांकित करती हैं।

एक उदाहरण मीना की कहानी है– एक दशक तक एक प्रताड़नापूर्ण विवाह के चंगुल में फंसी मीना मानसिक रूप से टूट चुकी थी और एक सुनसान सड़क पर लावारिस हालत में पड़ी हुई मिली थी। सिलीगुड़ी स्थित उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज से सुक्ला को सूचित किया गया कि उसे मीना को बचाना है जो अपनी पहचान भी नहीं बता पा रही है और मानसिक संत. ुलन खो चुकी है। मीना पूरी तरह टूट चुकी थी और दिशाहीन थी, उसे केवल अपने जन्मस्थान किलकोट चाय बागान की याद थी। दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर सुक्ला ने मीना को उसके परिवार से मिलाने का दायित्व अपने कंधों पर लिया। घर–घर जाकर, तस्वीरें साझा करके और इस विश्वास से प्रेरित होकर कि ''यदि एक महिला वास्तव में चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकती है'', शुक्ला ने तमाम मुश्किलों का सामना किया और अंततः मीना अपने परिवार से मिल गई।

शुक्ला का काम सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। किसी गैर–सरकारी संगठन या बाहरी अनुदान के बिना भी, उनका समर्पण अटूट है। वे कहती हैं, ''मेरा काम भले ही छोटे पैमाने पर हो, लेकिन अगर मैं एक भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी।'' बांग्ला में उनकी स्नातकोत्तर डिग्री अब निस्वार्थ भाव से लड़कियों को सौंदर्य प्रसाधन और हस्तशिल्प के पाठ्यक्रम सिखाने का एक साधन है, जिसका पूरा खर्च वे स्वयं उठाती हैं। प्यार से 'दीदी' के नाम से जानी जाने वाली सुक्ला, ब्यूटी कोर्स तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनकी उदारता का दायरा कहीं अधिक व्यापक है। महामारी के दौरान, उन्होंने बच्चों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की, जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल किया और यहां तक कि एक बच्चे को नेत्रहीन विद्यालय में भी भेजा। उनकी परोपकारिता की कोई सीमा नहीं है, जैसा कि मुफ्त कराटे प्रशिक्षण के माध्यम से लड़कियों को आत्मरक्षा कौशल सिखाने के उनके प्रयासों में देखा जा सकता है।

(साभार : www.shethepeople.tv)

68% बढ़ गई बच्चों की तस्करी

कोविड के बाद लापता 36 हजार बच्चों का सुराग नहीं

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 में भारत में करीब बीस हजार बच्चे ऐसे थे जो सड़कों पर रहते थे। इनमें से सिर्फ दस हजार बच्चे ही ऐसे थे जो अपने परिवारों के साथ सड़कों पर रहते थे और बाकी बच्चे बेघर थे। ये बेघर बच्चे ना सिर्फ बाल श्रम और तस्करी का शिकार होते हैं, बल्कि उन्हें यौन शोषण, शारीरिक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक, भारत में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता होता है, जो बाल तस्करी की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि साल 2022 में आई रिपोर्ट में बाल तस्करी के मामलों को स्पष्ट रूप से अलग श्रेणी में नहीं दर्शाया गया है, लेकिन बच्चों से संबंधित अपराधों के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को उजागर करते हैं।

चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों के उच्च न्यायालय बाल तस्करी से संबंधित लंबित मुकदमों की स्थिति की जानकारी दें और छह महीने के भीतर ऐसे मुकदमों का निस्तारण करें।

केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया

कि साल 2020 से लगभग 36 हजार बच्चे गायब हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद गंभीर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, अपहरण के मामले देश भर में सबसे ज्यादा यूपी में ही दर्ज होते हैं। साल 2022 में यूपी में 16,262 अपहरण के मामले दर्ज किए गए थे।

कोविड के बाद यूपी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में अचानक काफी बढ़ोत्तरी हुई। कोविड से पहले यानी साल 2019 में यूपी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जहां 267 मामले दर्ज थे, वहीं 2022 में ये संख्या बढ़कर 1,214 हो गई। महिलाओं और बच्चों की समस्या पर लिखने वाली लखनऊ की वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा कहती हैं कि यूपी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा कई राज्यों से मिलती हैं, इसलिए यहां बाल तस्करी के मामले ज्यादा हैं। भौगोलिक समस्याएं और बड़ा राज्य होना तो कारण हैं ही, प्रशासनिक अनदेखी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। अनदेखी इस कदर है कि यूपी के एक अस्पताल से एक नवजात लड़के को गायब करके उसे ऐसे लोगों तक पहुंचा दिया गया जिन्हें लड़का चाहिए था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जमकर फटकार लगाई और आदेश दिया कि जिस अस्पताल में ऐसी घटना होगी उसका लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाए।

बाल श्रम पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से तैयार की गई एक रिपोर्ट बताती है कि कोविड–19 के बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में 68 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016 से 2022 तक 13,549 बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाया गया, जिनमें से 80 फीसदी बच्चे 13 से 18 साल की उम्र के थे।

चाइल्ड ट्रैफिकिंग की वजह क्या है?

चाइल्ड ट्रैफिकिंग की मुख्य वजहें अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी तो हैं ही, इसके अलावा सामाजिक भेदभाव की वजह से दलित और आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए इसका शिकार होने का जोखिम ज्यादा रहता है। आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होते हैं और कई बार ये बच्चे तस्करों के हाथ लग जाते हैं।

राज्यों की पुलिस बाल तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन कई बार कानूनी दांव–पेंच और इस अपराध में लगे लोगों के राजनीतिक गठजोड़ उसे भी असहाय कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल से बच्चों की चोरी को लेकर भले ही इतनी गंभीर टिप्पणी की हो लेकिन अस्पताल आजकल बच्चों की तस्करी के बड़े माध्यम बन चुके हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। अस्पतालों में इन अपराधों के लिए छोटे–मोटे गिरोह नहीं बल्कि कई बार अस्पताल प्रशासन तक की भूमिका रहती है। उससे भी गंभीर बात ये है कि कई बार अभिभावक भी पैसों के लालच में बाल तस्करी में शामिल हो जाते हैं।

कानून क्या कहता है?

बाल तस्करी से निपटने के लिए भारत में कई कानून हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, बाल संरक्षण अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2000 शामिल हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 23 में भी मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जानकारों का कहना है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर कानून तो हैं लेकिन सबसे बड़ी कमी उन्हें लागू करने और बच्चों की देखभाल में है। गरीबी और आर्थिक असमानता के चलते बच्चे अक्सर तस्करी के शिकार हो जाते हैं और आसान लक्ष्य बन जाते हैं। कानूनों का कमजोर प्रवर्तन भी इसे बढ़ावा देता है। कानूनों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है, तो तस्कर बच निकलते हैं। और हां, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देता है। आजकल तस्कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बच्चों से मेल–जोल बढ़ाते हैं और फिर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। हालांकि भारत में बाल तस्करी के लिए अलग से कोई कानून ना होना भी इस समस्या को रोक पाने में बाधक है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम जैसे कानून हैं लेकिन ये केवल वेश्यावृत्ति पर केंद्रित हैं। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम और बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम उपलब्ध जरूर हैं लेकिन अपर्याप्त हैं।

(साभार : www.dw.com)

सवाल

घेरे में लड़कियां ही क्यों, ग्राहक क्यों नहीं!

यौन तस्करी के खिलाफ वर्षों से लामबंदी कर रहीं रुचिरा गुप्ता

कुछ लोग समस्याओं को देखते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, और कुछ लोग समस्याओं को देखते हैं और उनका समाधान करते हैं। रुचिरा गुप्ता इसी दूसरे वर्ग से आती हैं। रुचिरा अपने आप वर्ल्डवाइड की संस्थापक हैं, जो एक गैर सरकारी संगठन है और महिला अधिकारों के क्षेत्र में काम करता है और मानव यौन तस्करी को खत्म करने में भी मदद करता है। पत्रकारिता से शुरुआत करते हुए, रुचिरा ने द टेलीग्राफ, द संडे ऑब्जर्वर, बिजनेस इंडिया मैगजीन और बीबीसी जैसे समाचार पत्रों के लिए काम किया है। उन्होंने यौन तस्करी पर बनी वृत्तचित्र 'द सेलिंग ऑफ इनोसेंट्स' के लिए खोजी पत्रकारिता हेतु एमी पुरस्कार जीता है। वर्तमान में रुचिरा न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और 'यौन तस्करी के खिलाफ आंदोलन निर्माण' विषय पर पाठ्यक्रम तैयार करती हैं और पढ़ाती हैं।

रुचिरा ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आयोग की संचालन समिति की सदस्य भी थीं। 2007 में, उन्हें यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दास प्रथा उन्मूलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 में, उन्हें क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा नागरिक समाज में नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता के लिए क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। yourstory.com में प्रकाशित उनके साक्षात्कार में उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की।

(फोटोः www.forbesindia.com)

किस बात ने आपका ध्यान आकर्षित किया और मानव तस्करी के खिलाफ काम करने में आपकी रुचि पैदा की?

"मुझे मानव तस्करी की समस्या का पहली बार तब पता चला जब मैं पत्रकार के रूप में काम कर रही थी। मैं नेपाल की पहाड़ियों में घूम रही थी और मैंने एक ऐसा गाँव देखा जहाँ कोई महिला या लड़की नहीं थी। मैंने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो मुझे बताया गया, "क्या आपको नहीं पता, उन सभी को मुंबई के वेश्यालयों में बेच दिया गया है।" मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे जीवनक. ाल में आधुनिक गुलामी चल रही है। यही मेरी एमी पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री, 'द सेलिंग ऑफ इनोसेंट्स' का विषय था, और अंततः इसी ने मुझे अपना गैर सरकारी संगठन, 'अपने आप' शुरू करने के लिए प्रेरित किया।"

कृपया हमें इस क्षेत्र में बोले जाने वाले कुछ सफेद झूठों के बारे में बताएं।

"एक झूठ जिसे मैं जरूर उजागर करना चाहूँगी, वह यह है कि वेश्यावृत्ति एक विकल्प है। वेश्यावृत्ति में धकेली जाने वाली महिलाएं निम्न जाति और वर्ग की होती हैं और हाशिए पर पड़े समुदायों, जातियों और धर्मों से आती हैं। ऐसे में शरीर पर होने वाला अत्याचार कैसे विकल्प हो सकता है? वेश्यावृत्ति विकल्प का परिणाम नहीं, बल्कि विकल्प के अभाव का परिणाम है।"

क्या आपको लगता है कि अगर कोई पुरुष इसी तरह का संघर्ष कर रहा होता तो स्थिति अलग होती?

सवाल

''यह एक दिलचस्प सवाल है। मेरा मानना है कि कई पुरुष महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए सशक्त रूप से आवाज उठाते हैं और उनके काम को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद, मुझे लगता है कि भारतीय समाज में एक महिला होना एक अनोखी स्थिति है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, हम हर समय खतरे में रहती हैं– लिंग–चयनित गर्भपात, कन्या भ्रूण हत्या, तस्करी और दुल्हन को जलाने जैसे खतरों से जूझती हैं। मुझे लगता है कि इस समाज में एक महिला होने के नाते मुझे एक अनूठी समझ और सहानुभूति का भाव मिलता है।''

अन्य देशों की तुलना में भारत में मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति की स्थिति किस प्रकार भिन्न है?

''अमेरिका की तुलना में भारत में लड़कियों और महिलाओं को कम उम्र में ही वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में कानून में बदलाव हो सका और मानव तस्करी को भारतीय दंड संहिता में आपराधिक अपराध के रूप में शामिल किया गया। फिर भी, पीड़ितों के हित में कानून बनाने के मामले में हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, जो तस्करों, ग्राहकों और वेश्यालय मालिकों, यानी यौन संबंध खरीदने वालों को दंडित करें, न कि पीड़ित महिलाओं को। मैंने तस्करों के साथ पुलिस की मिलीभगत और लैंगिक संवेदनशीलता की कमी देखी है। बेशक, प्रभावी होने के लिए सख्त कानूनों को सख्ती से लागू करना भी जरूरी है। मानव तस्करी को खत्म करने के लिए लोगों के दिलों और दिमागों को बदलना होगा। यौन शोषण करने वाले खरीदारों और विक्रेताओं को समझना होगा कि महिलाएं बिकने वाली वस्तु नहीं हैं।

आपको आगे बढ़ने और इन लोगों के लिए और अधिक करने के लिए क्या प्रेरित करता है?

''महिलाएं ही मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं उनकी उपलब्धियों को देखती हूं और यही मुझे प्रेरित करता है। इसी साल बिहार की तीन लड़कियों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वे अपने समुदाय में कॉलेज जाने वाली पहली लड़कियां हैं। कोलकाता में हमारा एक स्व–सशक्तिकरण समूह भी है जिसने सामुदायिक रसोई व्यवसाय और बचत खाता शुरू किया है। मैं महिलाओं की उपलब्धियों को देखती हूं और सोचती हूं कि महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।''

(साभार : yourstory.com)

सोसाइटियों में चल रहे रैकेटों से लड़कियों को बचा पाना मुश्किल

यौन तस्करी के खिलाफ लामबंदी करने वाली तथा भारत की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रूचिरा गुप्ता देश में सेक्स तस्करी के विरोध में सजगता से आवाज उठाती रही हैं। अपने एनजीओ अपने आप फाउंडेशन के जरिये रूचिरा गुप्ता तस्करी की शिकार हुई लड़कियों की सहायता तथा यौन हिंसा और दुराचार के कारण पैदा हुए उनके बच्चों की रक्षा के लिए लंबे समय से जंग लड़ रही हैं।

वेश्यालयों अथवा चकलाघरों से इतर निजी घरों और रिहायशी सोसाइटियों में चल रहे सेक्स अड्डों से लड़कियों को बचा पाना क्यों ज्यादा मुश्किल होता है, इसके बारे में रूचिरा गुप्ता ने एक साक्षात्कार में बताया कि कैसे अंडरग्राउंड तरीके से चल रहे इस तरह के धंधों में लिप्त लोगों को पकड़ना और मासूम लड़कियों को बचा पाना अक्सर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसे सभ्य दिखने वाले समाजों में जो लोग होते हैं वे आसानी से बच निकलते हैं क्योंकि वे या तो पुलिस को रिश्वत देते हैं या पुलिस उनकी फ्री सर्विस पाने के एवज में उन्हें बचा लेती है। रूचिरा सवाल पूछती हैं कि क्यों सजा हमेशा महिला या फिर दलाल को ही मिलती है और क्यों नहीं कभी भी उनके ग्राहक सजा के दायरे में आते हैं। उसमें भी दलाल को अक्सर बहुत कम सजा देकर छोड़ दिया जाता है लेकिन महिला या लड़की को घेरे में ले लिया जाता है, और अवैध आप्रवासन या फिर वेश्यावृत्ति के आरोप में सवाल किए जाने लगते हैं। यही वजह है कि लड़कियां गवाह के तौर पर सामने आने से डरती हैं क्योंकि आशंका होती है कि या तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि महिलाएं जिनके खिलाफ शिकायत करना चाहती हैं वे बहुत ही शक्तिशाली लोग होते हैं और उनसे टकराने का मतलब है कि नुकसान उनका ही होता है। रूचिरा गुप्ता मानती हैं कि कुछ मामलों में लड़कियां अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति को चुनती हैं लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनका शोषण किया जाए। उनके मुताबिक, वेश्यावृत्ति को चुनने के पीछे भी उनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है जिसमें से गरीबी सबसे अहम है।

रूचिरा बताती हैं कि जो सेक्स रैकेट घरों और रिहायशी इलाकों में सामने आते है, उनमें अक्सर लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, जैसे कि पासपोर्ट जब्त कर लेना, मारपीट करना, गाली देना और कई बार तो लड़कियों के शरीर पर कोड़ों के निशान भी देखे जाते हैं। भरपेट भोजन और सही आवासन नहीं देना, पैसे नहीं देना या नाममात्र का देना और कागजातों को जब्त कर लेना भी प्रताड़ना में शामिल होता है। सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि कम उम्र की लड़कियों की तस्करी सेक्स के लिए की जाती है जिसका उनपर अत्यधिक मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभाव पड़ता है।

साहस

लड़कियों के लिए तारणहार बनीं खत्री दीदी

'खत्री दीदी' बिहार–नेपाल बॉर्डर पर लक्ष्मी खत्री की यही पहचान है, मगर बेटियों के लिए साहस का नाम। जब किसी को लगता है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है तो सबसे पहले खत्री दीदी को कॉल किया जाता है। पश्चिम चंपारण (बेतिया) के बगहा की रहने वाली लक्ष्मी पिछले 30 साल से भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी के खिलाफ चट्टान की तरह मौजूदगी दर्ज करा रही हैं।

लक्ष्मी खत्री ने अब तक 700 से अधिक लड़कियों और युवतियों को तस्करों के चंगुल से सुरक्षित निकाला है। पिछले तीन दशकों से 46 वर्षीया लक्ष्मी खत्री भारत–नेपाल सीमा पर मानव तस्करी को रोकने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में सक्रिय नेटवर्कों से 700 से अधिक लड़कियों और युवतियों को बचाया है। लक्ष्मी ने एक अनौपचारिक निगरानी प्रणाली विकसित की है, जो ग्रामीणों को पुलिस, आरपीएफ, एसएसबी, बाल कल्याण समितियों और सामाजिक संगठनों से जोड़ती है।

लक्ष्मी खत्री ने अपने काम की शुरुआत 1994 में नेपाल में की थी, जब उन्होंने तराई बेल्ट के गांवों से लड़कियों के लापता होने का एक सिलसिला देखा। कई लड़कियों को रोजगार या शादी का लालच दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ''मैं मूल रूप से नेपाल के नवलपरासी जिले की रहने वाली हूं, लेकिन मेरी शादी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में हुई थी। छात्रा रहते हुए ही मुझे अपने गांव और आसपास के इलाकों से लड़कियों के लापता होने की खबरें अक्सर सुनने को मिलती थीं, जिससे प्रेरित होकर मैंने खुद ही जांच–पड़ताल शुरू कर दी। मुझे अहसास हुआ कि ज्यादातर लड़कियों को नौकरियों के झूठे वादों से बहला–फुसलाकर भारत–नेपाल की खुली सीमा के रास्ते मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पश्चिम बंगाल

के कुछ हिस्सों जैसे बड़े शहरों में तस्करी करके ले जाया जा रहा था। पश्चिम चंपारण में शादी के बाद मैंने वहीं अपना काम जारी रखा। वाल्मीकिनगर, भीखनाथोरी और भीसवा जैसे इलाके, जो खुली सीमा पर स्थित हैं, तस्करों द्वारा

- भारत–नेपाल सीमा पर चट्टान की तरह खड़ी होती हैं
- 700 से अधिक लड़कियों को बचा चुकी हैं लक्ष्मी खत्री

लड़कियों की तस्करी के लिए सुरक्षित मार्ग माने जाते हैं। इसीलिए मैंने 2000 में भारत–नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकिनगर में रहना शुरू किया और बाद में मैं नेपाल के एक संगठन में शामिल हो गई जो मानव तस्करी के खिलाफ काम करता है।''

लक्ष्मी खत्री 25 वर्षों से पश्चिम चंपारण में तस्करी के खिलाफ लड़ रही हैं। इस साल 23 जनवरी को बगहा–2 ब्लॉक के नौरंगिया के एक ग्रामीण ने सूचना दी कि एक नया परिवार कई दिनों से वहां रह रहा है और तीन नाबालिग लड़कियों को अपने साथ ले जा रहा है। लक्ष्मी ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जांच में पता चला कि पश्चिम बंगाल की एक मां और बेटा उन तीन नाबालिग लड़कियों को अच्छी नौकरी दिलाने के बहाने पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। बगहा एसपी रामानंद कौशल ने भी माना कि कई मामलों में लक्ष्मी खत्री की सूचनाएं महत्वपूर्ण रही हैं। एसएसबी की 65वीं बटालियन के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा ने कहा कि वो सीमावर्ती क्षेत्र की निगरानी में एक मजबूत नागरिक भागीदार रही हैं। उनके जागरूकता अभियानों ने संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग में काफी सुधार किया है। उनके सहयोग से हाल के हफ्तों में 15 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे क्षेत्र में जहां गरीबी, पलायन और खुली सीमाएं मानव तस्करी को आसान और अदृश्य बनाती हैं, लक्ष्मी खत्री एक रक्षक महिला बन गई हैं, जिन्होंने साहस को आंदोलन में और जागरूकता को सुरक्षा में बदल दिया है। सत्ता या पद से नहीं, बल्कि भरोसे, दृढ़ता और करुणा से वह अपना शांत युद्ध जारी रखे हुए हैं।

(साभार : navbharattimes.indiatimes.com)

झारखंड में मानव तस्करी बड़ी समस्या है। भोले–भाले ग्रामीणों को नौकरी दिलाने का लालच देकर मानव तस्कर उन्हें बड़े शहरों में बेच डालते हैं। हर साल हजारों आदिवासी लड़के और लड़कियों, खासकर नाबालिग लड़कियों की तस्करी दिल्ली और उसके बाहर की जाती है। चंद पैसों की खातिर इन बच्चियों के सपने और उनके जीने का हक छीन लिया जाता है।

खूंटी जिले के कर्रा की रहने वाली अनीता (बदला हुआ नाम) को महज 13 साल की उम्र में उनकी बुआ काम का प्रलोभन देकर दिल्ली लेकर चली गई थी और उसे एक घर में बच्चों को संभालने के काम में लगा दिया गया था। दीया सेवा नामक गैर सरकारी संस्था ने दुश्वारियों से बचा तो लिया लेकिन भविष्य क्या होगा, इस मासूम को पता नहीं है। वह कहती है कि मेरी उम्र 13 साल थी, जब मुझे काम दिलाने के नाम पर लेकर गए थे और जो लेकर गई थी वो मेरी बुआ लगती है। वहां पर मुझे बच्चा खिलाने का काम दिया गया। अब मैं पढ़ना चाहती हूं और कुछ बनना चाहती हूं।

कुछ वापस लौटती हैं तो कुछ...

झारखंड की यह पहली लड़की नहीं है, जिसे काम के बहाने उसके अपने ही रिश्तेदार या करीबी दिल्ली जैसे शहर लेकर गए हों और उसे इस तरह से प्रताड़ित किया गया हो। इस राज्य की सैकड़ों लड़कियां हर साल बड़े सपने लेकर देश की राजधानी में जाती हैं। कुछ लड़कियां प्रताड़ित होकर वापस लौट आती हैं तो कुछ की डेड बॉडी भी नहीं मिलती। कई तो हमेशा के लिए लापता हो जाती हैं। इसे राज्य की गरीबी कहें या बेरोजगारी या फिर जागरूकता का अभाव जिसकी वजह से आसानी से यहां की आदिवासी लड़कियां मानव तस्करी का शिकार हो जाती हैं।

ऐसी ही एक पीड़ित लड़की ने कहा कि दीदी बोली थी कि काम पर लगा देंगे, दो दिनों तक ऑफिस में रखा, फिर काम पर लगा दिया। पापा ने केस किया तो फिर वापस लेकर आए। एक अन्य लड़की ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि हम लोग गरीब परिवार से हैं। दो महीने के लिए लॉकडाउन चल रहा था, वो मुझे रांची लेकर आ गई और मुझे एक व्यक्ति के साथ दिल्ली भेज दिया और वहां से वो किसी और के साथ भेज दिया, मुझे दो महीने बाद पता चला कि उसने मुझे बेच दिया है, तब मैंने अपने पापा को किसी तरह फोन कर बताया कि मुझे यहां बेच दिया गया है, तब पापा ने केस किया और मुझे वहां से छुड़ाकर लाया गया। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूं और कुछ बनना चाहती हूं।

झारखंड में अभियान चलाने वाली लक्ष्मी बाखला कहती हैं कि जो लोग लड़कियों को लेकर जाते हैं, उसे सबसे पहले हवस का शिकार बनाते हैं जिससे वो मजबूर हो जाए और भाग नहीं पाए। बाखला ने कहा कि सच्चाई ये है कि हजारों बच्चियां गायब हैं और बहुत कम एक–दो परसेंट मामले ही थाने तक पहुंचते हैं। इसका एक कारण शिक्षा का अभाव है, यहां से लड़कियां जाती हैं और उन्हें घर के काम में लगा दिया जाता है।

झारखंड के तस्करी वाले जिलों में सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह और लातेहार शामिल हैं। पीड़ितों में से अधिकांश या तो पलायन कर जाते हैं या घरेलू कामगारों, निर्माण श्रमिकों और अन्य कई असंगठित क्षेत्रों में काम करने के लिए महानगरों में तस्करी का शिकार हो जाते हैं। झारखंड के 90% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं।

(साभार : ndtv.com)

केस स्टडी

16 घंटे काम के बदले में चाकू से मार मिलती थी

वो सिर्फ 12 साल की थी लेकिन उसके जख्म सदियों की यातना जैसे गहरे थे। रात के करीब 9 बजे होंगे जब उसे दानापुर रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे और वो ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। किसी राहगीर ने उसकी हालत को देखते हुए 112 पर फोन लगा दिया था और पुलिस की टीम उसकी सहायता के लिए पहुंच गई थी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष से परामर्श कर और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसे पटना के बाल गृह में भेज दिया गया।

12 साल की उस बच्ची ने जो बताया वो दिल दहलाने वाला था। उसने बताया कि उसे अर्चना शाह नामक एक महिला ने अपने घर के छोटे–मोटे कामों को करने के लिए अपने पास रखा था और वो करीब 18 महीनों से उनके साथ रह रही थी। अर्चना शाह, उनके पति दिलीप शाह और उनकी सास अहिल्या बाई उसे उसके घर मुजफ्फरपुर से लेकर आए थे और उन्होंने उसके माता–पिता को कहा था कि वे उसे अपने पास रखकर पढ़ाएंगे और घर का हल्का–फुल्का काम करवाएंगे। बच्ची के पिता मजदूर थे और उसके चार भाई–बहन हैं। अर्चना ने उसके पिता को 5000 रुपए दिए और बच्ची को भी हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया। लेकिन जिस दिन से बच्ची अर्चना शाह के घर पहुंची, उस दिन से उसके दुर्दिन शुरू हो गए। सूर्योदय से पहले जागना और पूरे दिन बिना रुके 16 घंटे से भी अधिक काम करने के बाद देर रात सोना उसकी नियति बन गई थी। उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे जो बता रहे थे कि उसे गर्म बरतन और चाकू से दागा या मारा गया है। 11 सितम्बर, 2023 को दानापुर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी अर्चना शाह, उनके पति दिलीप शाह और उनकी सास अहिल्या बाई के खिलाफ दर्ज कराई गई लेकिन उसमें भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 370, 371 और 374 के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। बच्ची को प्रताड़ित करने की यह खबर अगले कुछ दिनों तक अखबारों की सुर्खियों में भी रही और सामाजिक मंचों पर इसकी आलोचना भी की गई लेकिन इन सब कवायदों से न तो आरोपियों को सजा मिली और न ही बच्ची को न्याय। धीरे–धीरे करके अगले छह महीनों में सभी आरोपियों को जमानत भी मिल गई।

(सुरेश कुमार की पुस्तक child Trafficking से साभार)

केस स्टडी

चूड़ी कारखाने में यातना और फिर जेल

मार्च, 2018 में जयपुर की ब्रह्मपुरी स्थित एक चूड़ी कारखाने से दीपक राज और विनोद कुमार (दोनों काल्पनिक नाम) को मुक्त कराया गया था। पांच दूसरे बच्चों के साथ। उन्हें बिहार के गया से नौकरी दिलाने और अच्छी मजदूरी देने के वादे के साथ जयपुर लाया गया था। लेकिन यहां के चूड़ी कारखाने में आने के बाद उनकी यातना के दिन शुरू हो गए। उन्हें पीटा जाने लगा और मां–बाप से कोई संपर्क नहीं हो सके इसके लिए उनके मोबाइल छीन लिए गए। इन बच्चों में विनोद कुमार की स्थिति ज्यादा ही अलग और खराब थी। विनोद उस माहौल में खुद को नहीं ढाल पा रहा था और लगातार अपने परिवार के पास जाने के लिए रोता रहता था। उसके साथ आए उसी के गांव के दीपक राज से भी उसे बात नहीं करने दिया जाता था। विनोद के रोने और विरोध करने के कारण उसे जो यातनाएं दी जाती थीं, उसे देखकर दूसरे बच्चे चुपचाप अपने काम में लग जाते थे।

मुक्त कराए जाने के बाद भी करीब तीन महीने तक विनोद कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं था। लगातार काउंसिलिंग और प्यार जताने के बाद उसने जो बताया उसे सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। विनोद ने बताया कि चूड़ी कारखाने में उसका मन नहीं लगता था और वह अपने माता–पिता से मिलने के लिए बेचैन रहता था। जब वह रोने लगता था तो तारों से बांध कर उसकी पिटाई की जाती थी। उसे कई–कई घंटों तक उल्टा लटकाकर छोड़ दिया जाता था। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसके हाथों को पीछे करके बांध दिया जाता था। जिस समय विनोद को मुक्त कराया गया था, उस समय उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। उसे तीन दिनों से कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था और उसके पूरे शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे। वो इतना कमजोर था कि ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रह था। दिन में 18–18 घंटे तक काम करने के कारण वो विक्षिप्त सा हो गया था। एक स्थानीय एनजीओ की शिकायत पर 1 मार्च, 2018 को पुलिस ने वहां छापेमारी की और विनोद तथा दीपक सहित पांच बच्चों को मुक्त कराया। बाद में बच्चों को उनके गांव भेजा गया जहां उनका दाखिला स्कूल में कराया गया और उन्होंने सामान्य जीवन शुरू कर दिया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हमारी सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था कितनी असंवदेनशील है, इसका वर्णन आगे की घटनाओं में मिलता है।

विनोद और दीपक के गांव में लौटने और पढ़ाई शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद उनके पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप होता है। 9 अप्रैल, 2022 को पुलिस देर रात गांव में पहुंचती है और विनोद तथा दीपक को बलात्कार के आरोप में पकड़कर ले जाती है। पुलिस दोनों नाबालिगों पर अपराध कबूल करने के लिए दबाव बनाती है और प्रताड़नाओं से तंग आकर दोनों बच्चे ये स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने रेप किया है। हालांकि उस समय भी विनोद बार–बार रोते हुए यह कहता रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। बच्चों को अदालत में प्रस्तुत किया जाता है लेकिन नाबालिग होते हुए भी उन्हें गया सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। विनोद और दीपक के लाचार और निरक्षर माता–पिता ने लोगों की सलाह पर एक वकील से संपर्क किया और काफी समय लगने और भाग–दौड़ के बाद आखिरकार दोनों बच्चों को जुवेनाइल एक्ट के तहत रिमांड होम में भेजा गया। हालांकि न्याय की लड़ाई अभी भी बाकी ही है क्योंकि विनोद लगातार खुद को निर्दोष बता रहा है और अवसाद में है।

(सुरेश कुमार की पुस्तक child Trafficking से साभार)

कहां हैं 'लापता' लड़कियां?

नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन ने 80' के दशक में कहा था कि पूरी दुनिया में करीब 100 मिलियन महिलाएं और लड़कियां 'लापता' हैं। परिवार में उपेक्षा और भेदभाव के कारण लड़कियां या तो बच नहीं पाती हैं या फिर उनके होने या न होने में कोई फर्क नहीं रह जाता है। इसके बावजूद कई लड़कियां बच तो जाती हैं लेकिन फिर भी उन्हें 'लापता' की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार बचाने के नाम पर, कमाने के लिए या फिर केवल क्षणिक सुख के लिए गायब कर दी गई ऐसी ही 55 लड़कियों से वर्ष 2002–03 में इक्विटी फाउंडेशन ने बातचीत की। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित चतुर्भज स्थान में किए गए इस अध्ययन को 'The Bad Karma' नाम दिया गया। इस रिपोर्ट के कुछ अंश हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं–

केस स्टडी

टॉर्चर चेंबर– लड़कियों को यहां टॉर्चर चेंबर में रखा जाता था जो 5–6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होता था। इसमें केवल एक छेद होता था जिसमें से सांस लिया जा सकता था। इसमें केवल रेंगा जा सकता था। ये चेंबर आम तौर पर रसोई में बर्तनों के पीछे बनाए जाते थे। अगवा कर या खरीद कर लाई गई कोई लड़की जब अपने शरीर को सौपने के लिए तैयार नहीं होती थी तो उसे इसी चेंबर में भूखे–प्यासे तब तक रखा जाता था जब तक कि वो मान न जाए। कई बार एक ही समय में 7 से 8 लड़कियों को इसमें ठूंस दिया जाता था जिससे उनका सांस लेना तक मुश्किल होता था।

सीता– सीता की उम्र 33 साल थी। 15 साल की उम्र में उसे उसके भाई के दोस्त ने अगवा कर लिया था और 5000 रुपए में बेच दिया था। उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया और नहीं मानने पर बुरी तरह पीटा गया। सीता ने तीन बार भागने की कोशिश की लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई। उसे दिन भर काम करने के बाद रात को 3 से 4 ग्राहकों को खुश करना पड़ता था लेकिन इसके लिए उसे कई सालों तक कोई मेहनताना भी नहीं दिया गया। 33 वर्ष की उम्र में उसका एक बेटा था जो बैंक में काम करता था।

सजदा खातून– 20 साल की सजदा को उसके पति ने छोड़ दिया था। गरीब परिवार में जन्मी सजदा कभी स्कूल नहीं गई थी। उसके मां–बाप ने सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में उसकी शादी करा दी थी। उस बाल उम्र में उसे शादी का मतलब भी नहीं मालूम था। थोड़े समय के बाद उसके नशेड़ी पति ने उसे छोड़ दिया और मायके भेज दिया। 15 साल की उम्र में सजदा ने एक बेटी को जन्म दिया। अब वो और उसकी बेटी दोनों ही गरीब मां–बाप के लिए बोझ बन गए थे। नतीजतन सजदा के मां–बाप ने उसे चतुर्भुज स्थान में 'मलकिनी' के पास बेच दिया।

फनी– मुसहर (बिहार का एक अत्यंत पिछड़ा समुदाय जिन्हें पेट भरने के लिए चूहों को मारकर खाना पड़ता है) समुदाय की फनी 10 से 15 रुपयों के लिए अपना शरीर बेचने के लिए तैयार हो जाती है। फिल्मी हीरों और हिराइनों की तस्वीरों से भरी अपनी झोपड़पट्टी में बैठी फनी कहती है कि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। वे भूखे नहीं मर सकती हैं। उन पर ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं है। ये सच्चाई है कि बिहार में बड़ी संख्या में मुसहर महिलाएं देह के धंधे में आने के लिए विवश हुई हैं।

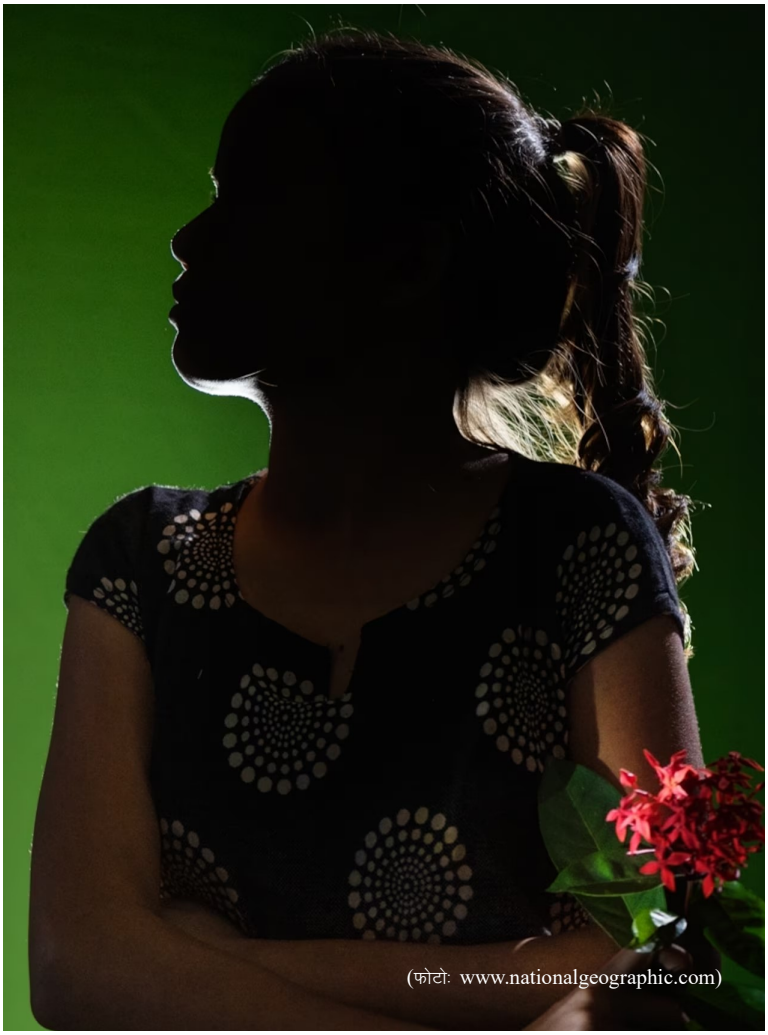

(फोटो: www.nationalgeographic.com)

मालती– मालती सिर्फ 12 साल की थी जब उसे नौकरी दिलाने के बहाने एक वेश्यालय में बेच दिया गया था। एक बूढ़े आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया। अध्ययन किए जाने के समय वह 8 महीने की गर्भवती थी लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके गर्भ में किसका बच्चा था। जब उससे पूछा गया कि क्या वो बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो उसका जवाब था, ''हां, अगर वो लड़की हुई तो मैं उसे जन्म दूंगी। लड़के का कोई फायदा नहीं है। वो तो बड़ा होकर मुझे ताने मारेगा, लेकिन अगर लड़की हुई तो वो भी मेरी तरह ये धंधा करेगी और पैसे कमाकर बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेगी।

केस स्टडी

13 साल की अनीमा को यौन गुलाम बनाया

अनीमा केवल 13 साल की थी जब वह तस्करों के चंगुल में फंसी थी। ये सब तब शुरू हुआ जब वो सुंदरवन में रहती थी और एक अधेड़ पुरुष रूबीक किसी काम से उसके गांव आया था। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में नदियों और दलदल से भरा–घिरा एक अत्यंत सुंदर और मनोरम स्थान है। अधिक उम्र का वह पुरुष अनीमा पर डोरे डालने लगा और धीरे–धीरे करके अनीमा भी उसके जाल में फंसने लगी। रूबीक ने अनीमा के साथ रोमांस किया और यहां तक कि उसके माता–पिता से भी मिला।

अनीमा अब तक गरीबी के माहौल में पली–बढ़ी थी, जहां न तो पीने के पानी की सुविधा थी और न ही शिक्षा का कोई माहौल था। उसके गांव में पक्के मकान भी नहीं थे और झोपड़ियां मिट्टी और बांस से बनती थी। उसके छोटे से घर में करीब एक दर्जन लोग रहते थे जबकि उसके पिता लकवाग्रस्त थे। ऐसे में रूबीक ने उसे जो सपने दिखाए उसके बाद अनीमा को सोचने का भी मौका नहीं मिला। उसने कहा, ''मैंने उस पर विश्वास किया, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ क्या गलत करेगा। ये मेरी बड़ी गलती थी।'' एक दिन रूबीक ने उससे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। जब अनीमा वहां पहुंची तो उसने कहा कि भाग जाते हैं। अनीमा ने इंकार किया तो रूबीक ने उसके मुंह पर एक रूमाल रखा और उसे उसके चेहरे पर दबा दिया। उसके बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आपको एक कमरे में बंद पाया और उसके हाथ–पैर बंधे हुए थे।

अनीमा के दुर्दिन शुरू हो चुके थे। हालात दिनोंदिन बिगड़ते जा रहे थे। रूबीक ने उसे पीटा, यातनाएं दीं और उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसके साथ ऐसा ही किया और एक दिन फिर उसके हाथ–पैर बांधे गए, प्रताड़ित किया गया और बेहोश करके उसे बिहार ले जाया गया जहां उसे देह व्यापार के धंधे में लगा दिया गया। उसने बताया, ''उनमें से कई ने मेरे साथ बलात्कार किया। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो लोग कितने थे। शायद पांच या छह लोग थे।'' कई हफ्तों तक उस नरक में रहने के बाद एक दिन जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था, तब उसने किसी तरह से अपने बंधे हुए हाथ–पैर को मुक्त किया और उस इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। वो बिहार के उस छोटे से शहर की गलियों में भटकने लगी। उसने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई लेकिन पहले तो कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया लेकिन अंततः एक महिला ने उसकी पुकार सुनी और उसे अपना फोन दिया जिससे उसने पुलिस को कॉल लगाया। सुंदरबन के लगभग हर गांव में लड़कियों और कभी–कभी लड़कों को भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

(साभार : www.theguardian.com)

बिहार–नेपाल सीमा से 6 महीने में सौ से ज्यादा लड़कियां हुईं गायब

बिहार–नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से 6 महीने में 100 से ज्यादा लड़कियों के गायब होने का मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मामले में मुजफ्फरपुर के रहने वाले मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग–अलग याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने बताया कि अपने देश के अलावा नेपाल, चीन, ब्राजील और सऊदी अरब में करोड़ों में 'बेटियां' बेची जा रही हैं।

मोतिहारी से सटे भारत–नेपाल बॉर्डर वाले क्षेत्रों में इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले तस्कर काफी संख्या में सक्रिय हैं। अधिवक्ता एस के झा ने कहा कि जुलाई महीने में रक्सौल से 10, रामगढ़वा से 3 लड़कियां, आदापुर से 4 लड़कियां, अगस्त महीना में रक्सौल अनुमंडल के भेलाही, कौड़ीहार सहित विभिन्न स्थानों से 18 लड़कियां, सितम्बर माह में पूरे अनुमंडल के विभिन्न स्थानों से एक विवाहिता सहित 17 लड़कियां, अक्टूबर माह में 15 और नवंबर माह में 15 सहित कुल 83 लड़कियां गायब हुई हैं। नशा कारोबारियों द्वारा लड़कियों का इस्तेमाल नशीले पदार्थ की तस्करी में किया जाता है।

इसके अलावा भारत के जम्मू–कश्मीर, पांडिचेरी, चीन, सऊदी अरब, दुबई समेत गल्फ कंट्री, अर्जेंटीना जैसे देशों में शादी कराकर बच्चा पैदा करने, 'जेनरेशन चेंज' कराने, बच्चे को दूध पिलाने और देह व्यापार जैसे कार्यों के लिए भी लड़कियों को फंसाकर विदेश भेज दिया जाता है।

साइबर काइम

सोशल मीडिया बना तस्करों का अड्डा

लुभावने वादों और नौकरी का झांसा देकर जाल में फंसाते हैं

"जब मेरी तस्करी हुई, तो उस आदमी को मेरे फेसबुक अकाउंट से मेरे बारे में पता चल गया था और वह मुझे ढूंढ रहा था। उसे उन सभी जगहों के नाम पता थे जहां मैं जाती थी। उस समय मैं जिन लोगों को जानती थी, उन सभी के नाम। उसने कुछ समय तक मेरे माता–पिता को परेशान किया, उन्हें तंग किया और बताया कि मैं मर गई हूं या जेल में हूं।"

मानव तस्करी से बची ब्रैंडिलिया एडम्स को अपने जीवन के सबसे बुरे वर्षों की शुरुआत इसी तरह याद है। दुर्भाग्य से, ब्रैंडिलिया अकेली ऐसी महिला नहीं हैं जिनकी मानव तस्करी की कहानी में सोशल मीडिया शोषण का एक प्रमुख माध्यम रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंस्टीट्यूट की एलिसा क्यूरियर व्हीलर के अनुसार, 2000 से 2020 के बीच, अमेरिका में संघीय मामलों में यौन तस्करी से बचे 30% लोगों को उनके तस्करों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भर्ती किया था। 2021 में यह संख्या 41% थी। आज तो यह और भी अधिक है। इसमें मामलों की आम तौर पर कम रिपोर्टिंग या श्रम तस्करी की ओर ले जाने वाले भ्रामक नौकरी प्रस्तावों की बहुलता को ध्यान में नहीं रखा गया है।

एक्सोडस रोड ने ब्राजील, भारत, लैटिन अमेरिका, फिलीपींस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में मानव तस्करी विरोधी कार्यों में इस बात को सच पाया है। हमारे द्वारा जांच किए गए मामलों में सोशल मीडिया लगातार शीर्ष 5 भर्ती विधियों में से एक है। दुर्भाग्य से, बेहतर विनियमन के लिए बढ़ते दबाव के बावजूद, मेटा, स्नैपचैट, टिकटॉक और डिस्कोर्ड जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियां जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती रहती हैं– यहां तक कि आंतरिक

दस्तावेजों से पता चलता है कि वे इसकी कीमत जानते हैं। सोशल मीडिया समुदायों में शोषण की व्यापकता निर्विवाद है।

मानव तस्कर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं

यह समझना जरूरी है कि तस्कर अक्सर समाज के अन्य सदस्यों जैसे ही दिखते हैं। हालांकि तस्करों को सिर्फ शातिर अपराधी के रूप में चित्रित करना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भी इंसान हैं। वे डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। वे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। वे भी आपकी तरह इंस्टाग्राम पर निराशाजनक पोस्ट देखते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए उनका एक और मकसद होता है।

सोशल मीडिया पर भर्ती के तरीके

आंकड़े अपर्याप्त हैं, लेकिन यह संकेत मिलता है कि जबसे सोशल मीडिया अस्तित्व में आया है, तब से ही मानव तस्करी में लोगों की भर्ती के लिए एक सक्रिय डिजिटल बाजार मौजूद है। शोषण

हमेशा किसी कमजोरी से शुरू होता है। तस्कर प्रोफाइल खंगालते हैं, किसी कमजोरी का फायदा उठाने या किसी ऐसी जरूरत को पूरा करने का वादा करने की तलाश में रहते हैं। तस्कर किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर रख सकते हैं और उसकी इन जरूरतों का पता लगा सकते हैं।

शारीरिक सुरक्षा (घरेलू हिंसा, स्थानीय अशांति या युद्ध से)

एक बार प्रवेश का कोई रास्ता मिल जाने पर, तस्कर अपने लक्ष्य यानी व्यक्ति की सुरक्षा को और कमजोर करने में जुट जाता है। कभी–कभी यह प्रक्रिया धीरे–धीरे चलती है, जैसे कि बॉयफ्रेंड या रोमियो दलाल जैसी स्थितियों में, जहां तस्कर एक दयालु और आकर्षक संभावित साथी होने का दिखावा करता है। वहीं, कभी–कभी यह प्रक्रिया तेजी से भी चलती है, जैसे कि किसी पोस्ट पर की गई टिप्पणी में नौकरी का ऐसा अवसर दिया जाता है जो देखने में वैध लगता है।

मानव तस्कर ऑनलाइन कई तरह की नौकरियां देते हैं, जो लगभग हर उद्योग से जुड़ी होती हैं। कई युवतियों को मॉडलिंग के लालच में यौन तस्करी में धकेल दिया जाता है। यह उन देशों में विशेष रूप से आम है जहां सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग होता है। लेकिन कुछ अन्य नौकरियां इतनी आकर्षक नहीं होतीं और केवल स्थिरता प्रदान करती हैं– घर की सफाई, होटल में काम, रेस्तरां में सेवा या कृषि। ये नौकरियां भी जल्दी ही यौन तस्करी, श्रम तस्करी और कर्ज के बंधन में धकेल दी जा सकती हैं। कैंडेला की कहानी में 'बॉयफ्रेंड बनाने' की रणनीति प्रमुख थी। ब्राजील में रहने वाले अपने एक दूर के प्रेमी द्वारा अर्जेंटीना में अपने घर से दूर ले जाई गई इस युवती को ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई बार, तस्कर ऑनलाइन माध्यम से दोस्ती या अन्य प्रकार के संबंध बनाते हैं, जिससे वफादारी की भावना पैदा होती है जिसका उपयोग वे शोषणकारी यौन संबंध या श्रम के रूप में बदले में उपकृत करने की मांग करने के लिए कर सकते हैं।

सोशल मीडिया नियंत्रण के तरीके

मानव तस्करों द्वारा पीड़ितों को अपने जाल में फंसाने के बाद, वे नियंत्रण के साधन के रूप में सोशल मीडिया का उपयोग जारी रख सकते हैं। एक अध्ययन में, यौन तस्करी से बचे 32% लोगों ने बताया कि उनके तस्कर उनके सोशल मीडिया के उपयोग पर नजर रखते थे। तस्करी में फंसे लोग कभी–कभी अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का नियंत्रण अपने तस्कर के हाथों में दे देते हैं और किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई संदेश या संचार भेजने में असमर्थ होते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि कई बार तस्कर इन खातों को अपने नाम से इस्तेमाल कर लेते हैं। तस्कर किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करके उसकी आपत्तिजनक या शर्मनाक कहानियाँ और तस्वीरें फैला सकते हैं। वे पीड़ित के प्रोफाइल का इस्तेमाल झूठे संदेश भेजने और परिवार और दोस्तों को उससे दूर करने के लिए भी कर सकते हैं।

तस्कर सोशल मीडिया पर विज्ञापन देते हैं

एक बार जब कोई तस्कर किसी व्यक्ति के खाते पर नियंत्रण कर लेता है, तो वह इसका इस्तेमाल यौन या श्रम सेवाओं के लिए अपने शिकार का विज्ञापन करने के लिए कर सकता है। कभी–कभी, तस्कर विज्ञापन के लिए अपने स्वयं के सोशल मीडिया प्रोफाइल का उपयोग करते हैं। मानव तस्करी के मामलों की पहचान और जांच करने के लिए प्रशिक्षित लोगों के लिए, यह भाषा देखने में जितनी लगती है उससे कहीं अधिक संकेत देती है। इस तरह के विज्ञापन अमेरिका में भी व्यापक रूप से प्रचलित हैं।

अमेरिका के न्याय विभाग के बाल शोषण और अश्लीलता अनुभाग में नीति और कानून की उप प्रमुख एलेक्जेंड्रा गेलबर के अनुसार, ''एक दशक से अधिक समय से, ऑनलाइन विज्ञापन तस्करों द्वारा व्यावसायिक यौन शोषण के लिए खरीदारों को लुभाने का मुख्य तरीका रहा है। 2020 में, न्याय विभाग द्वारा दायर यौन तस्करी के 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में ऑनलाइन विज्ञापन शामिल थे।''

हालांकि कभी–कभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भ्रामक शब्दों को पहचानना मुश्किल होता है, वहीं कई बार विज्ञापन कहीं अधिक स्पष्ट होते हैं। मध्य पूर्व में, कफाला प्रणाली के तहत घरेलू काम के लिए महिलाओं की सेवाएं बेचने वाली तस्करी की नीलामी होना आम बात है। विशिष्ट हैशटैग उन लोगों के लिए एक मिलन स्थल के रूप में काम करते हैं जो इन महिलाओं के लिए अनुबंध खरीदने और बेचने में रुचि रखते हैं।

तस्कर किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं

मानव तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म अलग–अलग देशों में भिन्न होते हैं। हालांकि, मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) और एक्स वैश्विक स्तर पर लगातार बड़ी मात्रा में शोषणकारी सामग्री का स्रोत रहे हैं। 2020 में किए गए एक अध्ययन में, यौन तस्करी के 133 मामलों में से 59 प्रतिशत पीड़ितों को फेसबुक के माध्यम से और 13 प्रतिशत को इंस्टाग्राम के माध्यम से भर्ती किया गया था। अमेरिका में राष्ट्रीय मानव तस्करी हेल्पलाइन संचालित करने वाली पोलारिस ने बताया है कि तस्करों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफार्मों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, किक और प्लेंटी ऑफ फिश, ओकेक्यूपिड और टिंडर जैसी डेटिंग साइटें शामिल हैं।

(साभार: theexodusroad.com)

सच्ची बात

तस्करी को समस्या नहीं मानता समाज

तस्करी और बालश्रम को पहचानने के लिए सही नजरिये की जरूरत

पटना में बाल मित्र संस्था के संस्थापक सुरेश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार में बाल तस्करी और बाल श्रम का शिकार हुए बच्चों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 500 से अधिक बच्चों का पुनर्वास कराया है। कानून की पढ़ाई करने के दौरान एनएचआरसी में इंटर्नशिप करते हुए उन्होंने मानव तस्करी और उसके कारणों व दुष्परिणामों के बारे में नजदीक से जाना और फिर इस क्षेत्र में सक्रिय हुए। उन्होंने तय कर लिया कि वे बच्चों के लिए काम करेंगे और इस तरह बाल तस्करी के क्षेत्र में उनका दखल बढ़ा। बाल तस्करी के बढ़ते दायरे को देखते हुए उसकी समाधान की दिशा में काम करने की अपनी इच्छा और 20 वर्षों के अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक 'child trafficking' लिखी। मंजरी के इस अंक के लिए हमने उनसे बात की। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश:

समस्या को नकारते रहे लोग

सुरेश कुमार बताते हैं कि जब उन्होंने बाल तस्करी और बाल श्रम के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो सबसे पहली बाधा तो यही सामने आई कि लोगों ने इसे समस्या माना ही नहीं। वे इसे देखकर भी नकारते रहे। उन्होंने कभी नहीं माना कि ये समस्या इतनी संगठित है। अफसोस और परेशानी की बात ये है कि इस त्रासद समस्या को शह देने में सबसे बड़ा हाथ हमारे समाज के तथाकथित पढ़े–लिखे और संभ्रांत लोगों का ही है। ज्यादातर मामलों में जहां बच्चों से घरेलू काम–काज करवाया जाता है, वे लोग शिक्षित और उच्च पदों पर बैठे लोग ही होते हैं। जब भी मैंने इन लोगों के सामने बाल तस्करी और बाल श्रम का मुद्दा उठाया तो उन्होंने इसे मानने से ही इंकार कर दिया। मैंने तब उन बच्चों के लिए काम करने की ठान ली। मैंने देखा कि एक बच्चा कैसे इस त्रासदी का शिकार होता है और फिर पूरी तरह संवेदनहीन समाज और पुलिस उसकी सहायता करने से इंकार कर देती हैं।

अपनी किताब में सच्चाई दिखाने की कोशिश

ऐसे ही करीब 8 से 10 बच्चों के साथ हुई यातनाओं को मैंने अपनी किताब में दिखाया है। इनमें से कई कहानियों को पढ़ने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि लोग सचमुच बच्चे–बच्चियों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार कर सकते हैं। मेरी किताब में जितने भी मामले सामने लाए गए हैं, सभी वास्तविक हैं। इस किताब को लिखने का मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि पूरा समाज इस समस्या के प्रति संवेदनशील बन सके। हम सड़कों पर भीख मांगते हुए बच्चों को देखते हैं लेकिन हमारे मन में कभी भी ये बात नहीं आती है कि क्या ये बच्चे अगवा कर या तस्करी कर लाए गए होंगे? दरअसल, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि मानव तस्करी को मानव तस्करी के लेंस से देखना होगा। हमें समझना होगा कि ढाबों पर काम कर रहा और सड़कों पर भीख मांग रहा हर बच्चा अपने परिवार का बोझ नहीं वहन करता है बल्कि उसमें से ज्यादातर बच्चों को मामूली मजदूरी का लालच देकर उनके परिवारों से छीन कर लाया जाता है। इनके माता–पिता को ये पता भी नहीं होता कि उनके बच्चों को जयपुर ले जाया जा रहा है या हैदराबाद या फिर केरल। कई बार बच्चे कभी लौट कर नहीं आते, कई बार उनकी डेड बॉडी आती है तो कभी कभी बच्चे मरनासन्न स्थिति में लौटते हैं और आने के 8–10 दिन के बाद ही उनकी मौत हो जाती है।

पीड़ित के साथ ही होता है दुर्व्यवहार

अक्सर होता है कि जब ऐसे बच्चों के माता–पिता थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो उन्हें धक्के देकर बाहर कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर ऐसे बच्चों को न्याय कहां और कैसे मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि तस्करी के शिकार 90 फीसद बच्चे कमजोर तबके के होते हैं। अगर मैंने 500 बच्चों के साथ काम किया, उनका पुनर्वास करवाया है तो उसमें से 450 बच्चे मुसहर समुदाय के हैं। यह समुदाय जो अपनी उदर पूर्ति के लिए भी नालियों में रहने वाले चूहों पर निर्भर है, उसके पास अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत कहां से आएगी, इसके बारे में सोचा जा सकता है। दूसरी ओर, बाल श्रम और तस्करी करवा रहे लोग मजबूत स्थिति में हैं और वे उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। बाल तस्करी के शिकार कमजोर आर्थिक–सामाजिक

परिवेश के बच्चे होते हैं जो अपने शोषण के खिलाफ न तो अपने परिवार में बोल पाते हैं और न ही बाहर किसी को बता पाते हैं। जब 10 से 15 साल तक के बच्चे–बच्चियों को परिवार की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ 2–4 हजार की मजदूरी करने के लिए उनके माता–पिता किसी के भी साथ भेजने का फैसला करते हैं, तब उस फैसले के खिलाफ भी वे नहीं बोल पाते हैं। वे यह नहीं कह पाते हैं कि उन्हें मजदूरी नहीं करनी है, बल्कि पढ़ना है। सुरेश कुमार कहते हैं कि केवल गयाजी में 80 हजार बाल श्रमिक मौजूद हैं।

केवल कानून बना लेना ही काफी नहीं

सुरेश कुमार बताते हैं कि ये सच है कि हमारे देश में बाल श्रम और तस्करी के खिलाफ कानून बने हुए हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में भी इसकी चर्चा की गई है। समय–समय पर इसे संशोधित भी किया गया है। निर्भया कांड के बाद और दूसरे मामलों के सामने आने के बाद इसे परिभाषित भी किया जाता रहा है, लेकिन केवल कानून बना लेना ही काफी नहीं होता है। यह अपराध बहुत पुराना है। कई ऐसे अपराध हैं जिनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है लेकिन बाल श्रम और तस्करी को बाकायदा संविधान में जगह दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि यह अपराध कोई नया नहीं है, फिर भी क्या वजह रही है कि यह कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण है कि इस अपराध का दायरा बहुत बड़ा है और यह दिनोंदिन और भी बढ़ता जा रहा है। इस अपराध में दोषियों को पकड़ने और उन्हें सजा देने की दर बहुत कम है। पीड़ित अति कमजोर वर्ग से है और उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। एनजीओ और दूसरे संगठन भी कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि अपराधी अब नई तकनीकों का प्रयोग करने लगे हैं।

चकलाघर बंद क्यों नहीं किए जा रहे

एक सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि जो लोग बच्चों की तस्करी कर उनका शोषण करते हैं वे सभी हमारे अपने ही समाज के लोग होते हैं। वे लोग चांद से नहीं आते हैं। तकलीफ इस बात से होती है कि आज भी हमारे राज्य में चकलाघर चल रहे हैं। जिस राज्य में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा तथा रोजगार पर इतना काम हो रहा है, जहां महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है और जहां की सरकार लड़कियों के विकास के लिए इतनी संवेदनशील है, वहां चकलाघर जैसी जगहों को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। हमें संरक्षण देना होगा तो पीड़ितों को न कि दोषियों को।

केस स्टडी

बेटी को बचाएं या पुलिस की खुशामद करें!

तीन बार बेटी को बेचा गया मगर निष्क्रिय बनी रही पुलिस

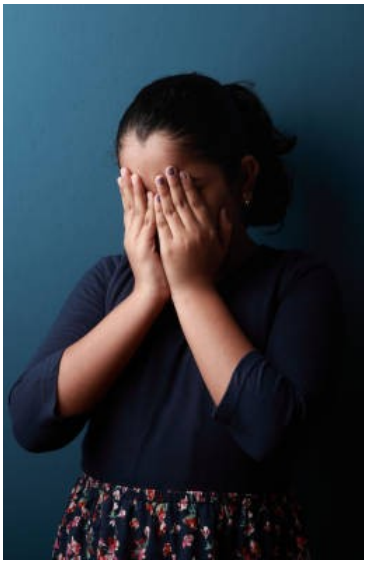

सुरेश कुमार बताते हैं कि 12 जून, 2022 को मैंने बाल श्रम के खिलाफ गया जिला प्रशासन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहां मुक्त कराए गए कई अन्य बालकों के अलावा मुझे प्रभा (काल्पनिक नाम) नाम की 14 साल की एक लड़की की मां से मिलने का मौका मिला जिसकी कहानी ने मुझे झकझोर कर रख दिया।

प्रभा की मां ने मुझे बताया कि कोचिंग जाते समय एक रिक्शेवाले ने उनकी बेटी प्रभा को अपने रिक्शे में बिठा लिया और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद रिक्शे को अनजान दिशा में मोड़ लिया। रिक्शा एक रुकी हुई जीप के पास पहुंची और उनकी बेटी को जबर्दस्ती उस जीप में बिठा दिया गया और फिर उसे नशीला पदार्थ दे दिया गया। जब प्रभा की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर दो अनजान महिलाओं के साथ पाया। पूछने पर महिलाओं ने बताया कि उसे 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया है। अगले चार महीनों में उसे तीन बार अलग–अलग जगहों पर बेचा गया। एक खरीदार ने तो उससे शादी भी कर ली थी लेकिन फिर उसे जबर्दस्ती राजस्थान के बारन जिले के हरि सिंह के हाथों बेच दिया गया। वहां से किसी तरह मैनेज कर प्रभा ने अपनी मां सुशीला को फोन किया और अपने लोकेशन की जानकारी दी।

सुशीला ने बताया कि पिछले दो महीने से वो दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रही है लेकिन स्थानीय पुलिस उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही है। सुशीला ने मुझे सारे जरूरी कागजात सौंपे और फिर मैंने बिहार स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी के संयुक्त सचिव को दस्तावेज भेजे और अगले दिन शिकायत दर्ज कर ली गई। न्याय की तरफ यह एक कदम जरूर था लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन था। जिस फोन नंबर से प्रभा ने कॉल किया था, वह बारन के हरि सिंह का ही था इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद भी अगले दस दिनों तक पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद एक दिन सुशीला को पता चलता है कि प्रभा को जल्दी ही 6 लाख में कहीं और बेचने की तैयारी हो रही है। सुशीला फिर से गुहार लगाती है लेकिन सब बेकार हो जाता है। सुशीला मुझे फोन कर सारा वाकया बताती है और मैं एडीजी–कमजोर वर्ग को फोन कर उनसे मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करता हूं। मैंने उन्हें बताया कि अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो प्रभा शायद हमसे बहुत दूर चली जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहरहाल, उनके आदेश पर एक टीम को गठित कर राजस्थान के लिए रवाना किया गया लेकिन इसी बीच मैंने राजस्थान बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को भी पूरे मामले की जानकारी देते हुए उनसे मदद मांगी। उन्होंने तत्परता दिखाई और आधे घंटे के भीतर प्रभा को रेस्क्यू कर लिया गया। उसके साथ भागलपुर की एक और 15 साल की लड़की को भी बचाया गया। दोनों बच्चियों को बिहार लाया गया, जहां से जरूरी कार्रवाई करने के बाद दूसरी बच्ची को माता–पिता के साथ भेज दिया गया जबकि प्रभा को सुरक्षा की दृष्टि से गया के आश्रय गृह में रखा गया।

यहां से प्रभा और सुशीला, दोनों की असली लड़ाई शुरू होती है। एक आरोपी को तो गिरफ्तार किया गया लेकिन दूसरा लगातार बचता रहा। जब बार–बार सुशीला और उनकी बहन ललिता पुलिस के पास जाती तो उनसे कहा जाता कि वो भाग जाएं वरना आरोपी को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरे आरोपी ने अब प्रभा के परिवार को धमकाना भी शुरू कर दिया था। अंत में थक–हार कर सुशीला ने हाई कोर्ट में फरियाद की और वहां से उसे न्याय की कुछ उम्मीद दिखाई दी। तमाम प्रयासों के बाद प्रभा घर तो आ गई लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। डॉक्टर ने बताया कि वह सिजोफ्रेनिया की चपेट में है। लंबे इलाज के बाद प्रभा अब अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटने की कोशिश कर रही है।

न्याय मिलना आसान नहीं

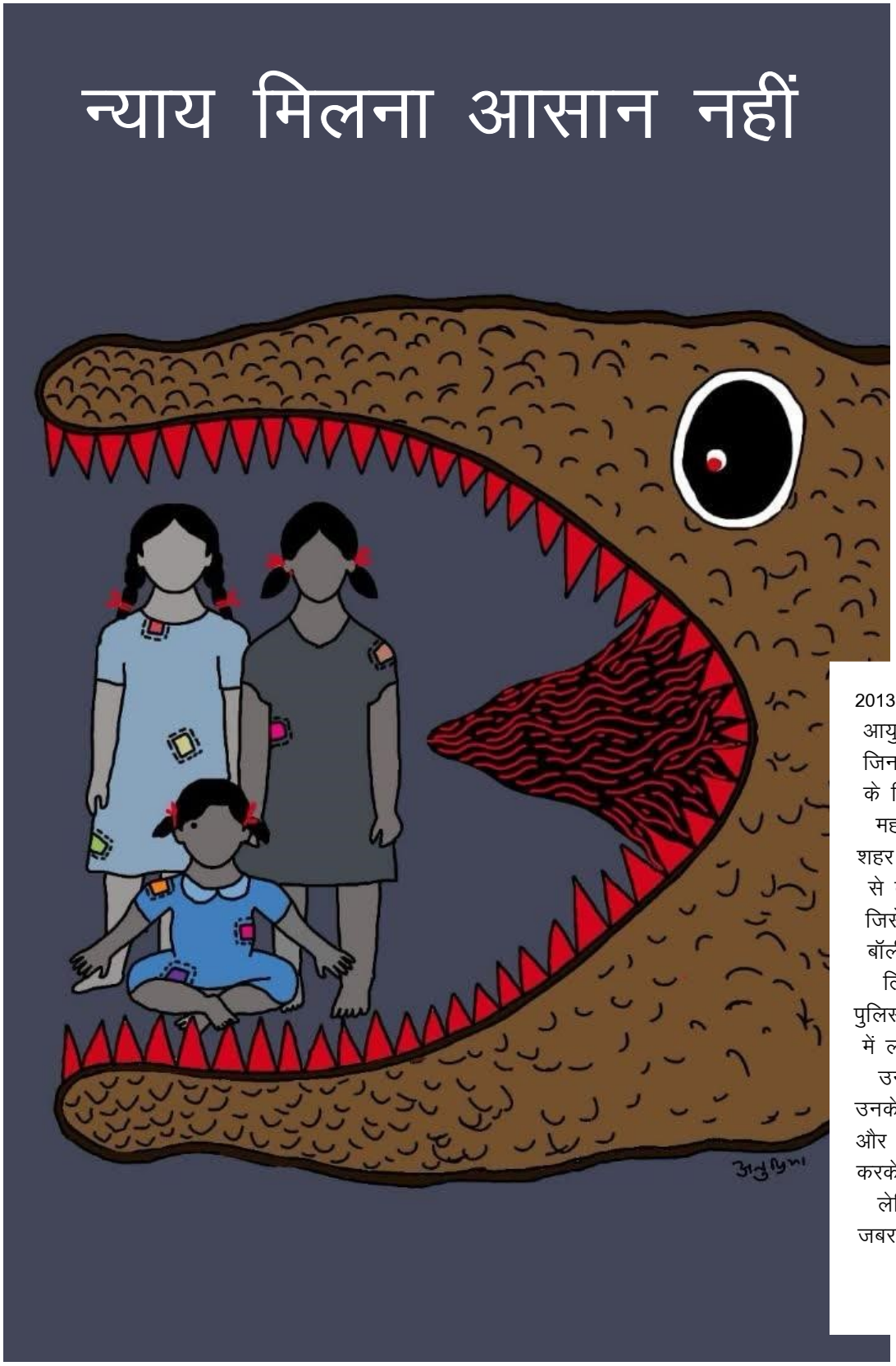

2013 में, 18 से 20 वर्ष की आयु की दो युवतियों को, जिनके नाम उनकी सुरक्षा के लिए गुप्त रखे गए थे, महाराष्ट्र के एक प्रमुख शहर पुणे के एक वेश्यालय से बचाया गया था। पुणे जिसे हिंदी फिल्म उद्योग, बॉलीवुड का घर होने के लिए जाना जाता है। पुलिस को दिए अपने बयान में लड़कियों ने बताया कि उन्हें पश्चिम बंगाल में उनके घरों से बेहतर जीवन और अच्छी कमाई का वादा करके पुणे बुलाया गया था, लेकिन वास्तव में उन्हें जबरन यौन कार्य में धकेल दिया गया था।

मुश्किल हालात

पश्चिम बंगाल लंबे समय से भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जिसका मुख्य कारण राज्य के गरीबीग्रस्त क्षेत्र और बांग्लादेश के साथ लगी इसकी 2,216.7 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। यह नेपाल और भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। लड़कियों को बचाए जाने के एक महीने बाद, पुलिस ने पुणे की एक अदालत में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया लेकिन अन्य दो संदिग्धों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका। ये दोनों महिलाएं थीं जिन्होंने रोजगार और आर्थिक लाभ का लालच देकर पीड़ितों को फंसाया और फिर उन्हें मुख्य अपराधी को बेच दिया। अंततः, 10 साल तक चले मुकदमे के बाद, अदालत ने 26 दिसंबर, 2023 को जांच के दौरान पुलिस की लापरवाही का हवाला देते हुए आरोपियों को निर्दोष घोषित कर दिया।

यह मामला भारत में मानव तस्करी के खिलाफ चल रहे संघर्ष का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। हर साल सैकड़ों लड़कियों, महिलाओं और बच्चों की भारत की सीमाओं के भीतर और बाहर तस्करी की जाती है, मुख्य रूप से व्यावसायिक यौन शोषण और बंधुआ मजदूरी के लिए। 2024 की जनवरी में, भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी संसद को सूचित किया कि 2018 और 2022 के बीच मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में केवल लगभग दस प्रतिशत संदिग्धों को ही दोषी ठहराया गया है।

इस बीच, देश में मानव तस्करी विरोधी संस्थाओं का दावा है कि भारत में मानव तस्करी के मामलों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक है, उनका कहना है कि कई पीड़ित सामाजिक कलंक और तस्करों से प्रतिशोध के डर से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी कहानियां बताने से कतराते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कानूनी ढांचा मौजूद होने के बावजूद, दमनकारी प्रयासों में क्या बाधा आती है?

हम जानते हैं कि भारतीय संविधान मानव तस्करी के सभी प्रकारों और रूपों को प्रतिबंधित करता है, और देश भर में संघीय और प्रांतीय सरकारों ने इस अपराध से निपटने के लिए कई कानून बनाए हैं। भारत की प्राथमिक आपराधिक संहिता, भारतीय दंड संहिता, शोषण के उद्देश्य से धमकी, बल, दबाव, अपहरण, धोखाधड़ी, प्रलोभन या सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से किसी व्यक्ति की भर्ती, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरण या प्राप्ति में शामिल व्यक्तियों के लिए सात साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक

मानव तस्करी के अपराधों को मामूली अपराध माना जाता है और उन्हें वह प्राथमिकता नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। पुलिस इन मामलों में गहन जांच नहीं करती ताकि पूरे नेटवर्क या इन अपराधों में शामिल धन के लेन–देन का पता लगाया जा सके। पुलिस का मानना है कि यह एक अपरिहार्य वास्तविकता है और इसे टाला नहीं जा सकता।

के दंड का प्रावधान करती है। फिर भी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि तस्कर सजा से बचने में कामयाब हो जाते हैं और भारत में इस प्रथा पर नकेल कसने के लिए देश में प्रभावी कानूनी ढांचा होने के बावजूद उन्हें शायद ही कभी दोषी ठहराया जाता है।

भारत के अपराध आंकड़ों के संघीय रिकॉर्ड रखने वाले राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, मानव तस्करी के मामलों में दोषसिद्धि दर 2022 में 19.4 प्रतिशत थी। इसके अलावा, भारत में मानव तस्करी विरोधी संगठन तफ्तीश द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, जो दोनों ही मानव तस्करी के केंद्र हैं, में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आरो. पित तस्करों में से एक प्रतिशत से भी कम को अदालतों द्वारा दंडित किया गया।

अध्ययन से यह भी पता चला कि 2008 से 2018 के बीच इन दोनों राज्यों में मानव तस्करी के 198 मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आरोपित 429 लोगों में से केवल तीन को ही दोषी ठहराया गया था। भारत स्थित मानव तस्करी विरोधी संस्थाएं और वकील देश में तस्करी के मामलों में कम दोषसिद्धि दर के लिए कई कारण बताते हैं।

पश्चिम बंगाल की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील कौशिक गुप्ता ने बताया कि मानव तस्करी के मामलों में अपर्याप्त जांच अदालतों में दोषसिद्धि की कम दर का एक महत्वपूर्ण कारण है। गुप्ता के अनुसार, इन मामलों को मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (एएचटीयू) को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है, जो इस तरह के मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा स्थापित विशेष संस्थाएं हैं।

उन्होंने कहा, ''पीड़ितों की ओर से अभियोजन में रुचि की कमी भी देखी जा रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उन्हें दोहरी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ता है, उन्हें अदालत का सामना करना पड़ता है और उन्हें बचाव पक्ष के वकील का सामना करना पड़ता है।'' उन्होंने आगे कहा कि अगर पीड़ितों को तुरंत मुआवजा दिया जाता है तो वे अपने तस्करों पर मुकदमा चलाने में रुचि लेंगे, और यह भी कहा कि तस्करों की मनमानी पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। भारत स्थित मानव तस्करी विरोधी संस्था प्रज्ज्वला की संस्थापक डॉ. सुनीता कृष्णन ने कहा कि पुलिस मानव तस्करी के मामलों की जांच को उचित प्राथमिकता नहीं देती है। उन्होंने कहा, ''मानव तस्करी के अपराधों को मामूली

मुश्किल हालात

अपराध माना जाता है और उन्हें वह प्राथमिकता नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। पुलिस इन मामलों में गहन जांच नहीं करती ताकि पूरे नेटवर्क या इन अपराधों में शामिल धन के लेन–देन का पता लगाया जा सके।'' उन्होंने दावा किया, ''पुलिस का मानना है कि यह एक अपरिहार्य वास्तविकता है और इसे टाला नहीं जा सकता'', उन्होंने आगे कहा कि पुलिस मुख्य रूप से सामाजिक दृष्टिकोण के कारण मानव तस्करी को गंभीर अपराध नहीं मानती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उचित देखभाल और सहायता ढांचे की कमी पीड़ितों को और भी हतोत्साहित करती है। उन्होंने कहा, ''पीड़ितों की देखभाल के लिए आवश्यक संपूर्ण सुरक्षा ढांचा कमजोर है। ऐसी स्थिति में, पीड़ित अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग नहीं करते, जिसके परिणामस्वरूप अंततः तस्करों को बरी कर दिया जाता है।''

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मानव तस्करी से पीड़ित महिलाओं के समूह बिजोयिनी से जुड़ी एक महिला ने बताया कि पीड़ितों को अदालतों से न्याय मिलना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, ''मैं पिछले छह सालों से न्याय के लिए संघर्ष कर रही हूं, लेकिन अदालत ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। अब मुझमें अपने मामले को आगे बढ़ाने की कोई रुचि और हिम्मत नहीं बची है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मानव तस्करी के मामलों में त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। ''पीड़ितों को मुआवजा मिलने में अत्यधिक देरी भी हमें हतोत्साहित करती है। मुआवजे की शीघ्र प्राप्ति से हमारे शीघ्र पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण में भी मदद मिलेगी।''

अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के लिए अपनी विशिष्ट सिफारिशों में देश से तस्करों और उनके साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है। मानव तस्करी विभाग की 2023 की रिपोर्ट (टीआईपी) में लिखा है, ''भारत को, बंधुआ मजदूरी और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों सहित कथित तस्करों की जांच और अभियोजन के प्रयासों को बढ़ाना चाहिए और दोषी तस्करों के लिए पर्याप्त दंड की मांग करनी चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण कारावास की सजा शामिल होनी चाहिए।'' रिपोर्ट में मौजूदा मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (एएचटीयू) को अधिक धन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण से मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया कि नवगठित एएचटीयू पूरी तरह से संसाधनों से लैस और कार्यरत हों। (साभारः www.fairplanet.org)

मुजफ्फरपुर

अखिलेश श्रीवास्तव

देवकीनंदन खत्री के शहर में बची रह गई है अय्यारी।
शाम होते–होते सफेद लिबास में लिपटे
अय्यार बदल जाते हैं काले धुएँ में।
कहकहे गूँजते हैं और
राजा के महल में हर रात गायब हो जाती है एक लड़की!
वैसे ये लड़कियाँ अपनी पूरी उम्र गायब ही रहीं
न माँ को मिलीं न पिता को।
रोज खोजती रही गुमशुदगी के पोस्टर में
अपना चेहरा पलक झपकते ही।
गुम हुई चुपाई लिए कस्बों से
बीच सड़क गली–गलियारों से
जैसे बरसात में चलते हुए गटर के खुले
मैनहोल पर पड़ गया हो पाँव!
कुछ प्रेम में बरगलाई गईं
कुछ रात तक मारी जाने वाली थीं
कुछ जहर नहीं खा पाईं
कुछ इतनी डरपोक कि ट्रेन से कटने जातीं
तो उसकी आवाज से डर जातीं
आत्महत्या के असफल प्रयासों के किस्सों से भरी हैं ये लड़कियाँ
सुनाती हैं तो कमरा ठहाकों से भर जाता है।
कुछ इतनी अनपढ़ थीं कि स्वर्ग की तलाश में अपनी देह सहित भागीं
बहुत भटकने के बाद सदेह स्वर्ग न मिलने के मिथक का पता चला
तो हताश होकर शून्य में निहारने लगीं।
नर्क के दरवाजे खुले मिले तो उसी में घुस गईं!
इनकी स्मृति में जस की तस है उन मर्दों की सूरत
जिन्होंने इन्हें पहले–पहल तौला और बेच दिया।
वैश्विक मंदी के दौर में भी हाथों–हाथ बिकी ये लड़कियाँ!
तुम्हारी भाषा बज्जिका में स्त्री को धरती कहते हैं
पर अभी हम बच्चियाँ हैं।
तुम अपने भाषा–संस्कार में हमें गढ़ई कहना
न, न हम बहुत गहरे धँसे है गढ़ई–से।
तुम हमें कुआँ कहना, पर हम कैसे कुएँ हैं
जो खुद चलकर जाते हैं प्यासे के पास।
इस तरह भाषा से भी बहिष्कृत हैं
उसके मुहावरे हम पर लागू नहीं होते!
खादी, गांधी टोपी, भगवा चोला, सत्यमेव जयते
सब इस घुप्प अँधेरे कमरे की खूँटी पर चढ़ते–उतरते रहते हैं
जन–मन–गण नहीं है, गन–धन गणिकाएँ हैं
मुजफ्फरपुर की ये लड़कियाँ...

(साभारः www.hindwi.org)

A CSR Project
of
Coal India Limited

5 DECADES OF UNEARTHING ENERGY

कुशल

PROMOTING DIGITAL LITERACY AMONG THE UNDERPRIVILEGED STUDENTS

(FREE Computer classes (10+2 onwards)

EQUITY FOUNDATION
A Forum for Woman and Child

123-A, Patliputra Colony
Patna-800013
Call @ 7004227803/6207092051
Email- equityasia@gmail.com

www.emanjari.com

इक्विटी फाउंडेशन
123 ए, पाटलीपुत्र कॉलोनी
पटना, 13

equityasia@gmail.com
www.emanjari.com
06122270171
6207092051
7979772023

RNI Title Code: BIHBIL02442

© इक्विटी फाउंडेशन